कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/-रू.

चैत्र-वैशाख 2082, अप्रैल 2025

बिम्सटेक: क्षेत्रीय सहयोग का उभरता और प्रभावी मंच

स्वदेशी गतिविधियां

प्रांत सम्मेलन – उड़ीसा (पूर्व)

सचित्र झलक

VOICE OF

SELF RELIANT INDIA

SWADESHI
Patrika

स्वदेशी
पत्रिका

पढ़ें और
पढ़ायें

स्वदेशी पत्रिका

अ नु क्र म

वर्ष–33, अंक–4

चैत्र–वैशाख 2082 अप्रैल 2025

संपादक

अजेय भारती

सह–संपादक

अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन

सुदामा दीक्षित

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**

समाचार परिक्रमा **36-38**

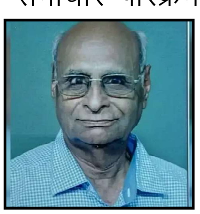

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**

चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा – पृष्ठ–06

बिम्सटेकः क्षेत्रीय सहयोग का उभरता और प्रभावी मंच

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ

2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आजकल
अब तो भारत धनुष उठाओ
..........अनिल तिवारी

11 कृषि
कृषि क्षेत्र में करवट बदलता भारत
..........प्रहलाद सबनानी

13 बहस
गरीब और गरीब का कल्याण
..........अनिल जवलेकर

15 जांच–पड़ताल
आत्मनिर्भरता के मंत्र से मिल रही रक्षा क्षेत्र को मजबूती
..........डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

17 मुद्दा
नेपाल में पुनः हिन्दू राष्ट्र के लिए भारी समर्थन
..........विनोद जौहरी

19 व्यापार
सब्सिडी कवच लैस अमेरिकी उत्पादों से व्यापार युद्ध
..........देविन्दर शर्मा

21 योजना
प्रधानमंत्री धन–धान्य योजनाः गरीबी मुक्त भारत–गरीब मुक्त गांव
..........शिवनंदन लाल

23 विचार
भारत एक महान राष्ट्र
..........प्रो. विजय वशिष्ठ

26 आत्मनिर्भर भारत
स्वास्थ्य की रक्षा और भारत की आत्मनिर्भरता
..........स्वदेशी संवाद

28 खेतीवारी
स्मार्ट खेती खोलती किसान के बेहतर भविष्य की राह
..........विजय गर्ग

30 आर्थिकी
विदेशी मुद्रा से लबालब भारतीय खजाना
..........शशी मोहन रावत

32 श्रद्धांजलि
अंतिम विदाई– मेरे देश की धरती, एक सन्नाटे में डूबी
..........अजय कुमार

पाठकनामा

मानसिक गुलामी की ओर ले जाती विदेशी तकनीक

आजकल पूरी दुनिया चेट जीटीपी और घिबली स्टाइल जैसी नई तकनीकों के पीछे पागल हो रही है। कला और एआई का यह मिश्रण भले ही देखने में आकर्षक लगे, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि इसके प्रभाव हमारे मस्तिष्क की क्षमता को धीरे–धीरे कम कर रहे हैं।

घिबली स्टाइल्स एनीमेशन आर्ट का एक विशेष रूप है, जिसमें भावनाओं और कल्पना की उड़ान होती है। लेकिन अब, जब चेट जीटीपी जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, तो यह सब कृत्रिम रूप से तैयार किया जा रहा है। लोग वास्तविक सोच और रचनात्मकता से दूर होते जा रहे हैं। हर चीज़ कंप्यूटर–जनित होती जा रही है, और हम बिना सोचे–समझे इसे स्वीकार कर रहे हैं।

हमारी ज़िंदगी पहले ही किसी कार्टून से कम नहीं थी, और अब यह पूरी तरह से डिजिटल कल्पना में बदलती जा रही है। सोचने, विश्लेषण करने और गहराई से समझने की क्षमता खत्म हो रही है। विदेशी तकनीक हमारे ऊपर हावी हो रही हैं और हमें उसका गुलाम बना रही हैं। हम हर चीज़ को एक आकर्षक प्रस्तुति के रूप में देख रहे हैं, पर इसके पीछे के नुकसान को नहीं समझ पा रहे हैं।

क्या यह सही दिशा है? क्या हम अपने दिमाग और समाज की मूलभूत संरचना को इस तरह बदलने के लिए तैयार हैं? इस पर गंभीर मंथन की जरूरत है।

धीरज कश्यप, नोएड़ा

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

हर मुद्रा लोन अपने साथ गरिमा, स्वाभिमान और अवसर लेकर आता है। वित्तीय समावेशन के साथ–साथ इस योजना ने सामाजिक समावेशन और आर्थिक स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की है।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

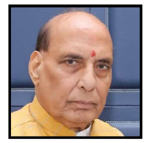

वर्तमान गतिशील भू–रणनीतिक परिवर्तनों और चल रहे वैश्विक सुरक्षा परिदृश्यों के मद्देनजर सशस्त्र बलों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों चुनौतियों हेतु एक गतिशील परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करनी चाहिए।

राजनाथ सिंह, रक्षामंत्री, भारत

भारत किसानों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है।

शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री, भारत

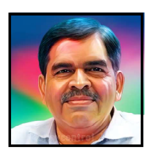

हमें भविष्य में विकास का ऐसा मॉडल चाहिए, जिसमें पर्यावरण की रक्षा की बात हो।

डॉ. अश्वनी महाजन, अ.भा.सह–संयोजक, स्व.जा.मं.

दुनिया भर में आ सकती है चीनी माल की बाढ़

हालाँकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा के एक सप्ताह से भी कम समय में, 8 अप्रैल, 2025 को 75 देशों पर अपने पारस्परिक टैरिफ को रोक दिया, लेकिन इस रोक में एकमात्र अपवाद था चीन, जिस पर ट्रम्प ने पहले 125 प्रतिशत टैरिफ लगाया, जिसे बाद में बढ़ाकर 245 प्रतिशत कर दिया है, जिसे हम 'दंडात्मक टैरिफ' भी कह सकते हैं, क्योंकि चीन ने राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा पारस्परिक टैरिफ का जवाब देने का विकल्प चुना है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म 'एक्स' पर अपने पोस्ट में ट्रम्प ने कहा, "चीन ने विश्व के बाज़ारों के प्रति सम्मान नहीं दिखाया है, उसके आधार पर, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए जाने वाले टैरिफ को तत्काल प्रभाव से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर रहा हूँ। उम्मीद है कि निकट भविष्य में किसी समय चीन को एहसास होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों को लूटने के दिन अब टिकाऊ या स्वीकार्य नहीं हैं।" अमेरिका को छोड़कर भारत समेत किसी भी देश ने चीन पर टैरिफ नहीं बढ़ाया है, लेकिन अधिकांश देश, चीन द्वारा की जाने वाली डंपिंग से चिंतित हैं। डंपिंग का मतलब है कम दामों पर सामान बेचना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा में डंपिंग तब होती है, जब कोई देश या कंपनी अपने घरेलू बाजार की तुलना में विदेशी बाजार में कम कीमत पर उत्पाद का निर्यात करती है। डंपिंग को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दुरुपयोग माना जाता है। चीन का लक्ष्य आयातक देशों के घरेलू उद्योगों को खत्म करना है। सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) का मामला चीनी डंपिंग और शोषण के जीते जागते उदाहरण हैं। 2004 के बाद, पेनिसिलिन जी और फोलिक एसिड सहित कई प्रकार की एपीआई को भारतीय बाजारों में बेहद कम कीमतों पर डंप किया गया। इस खेल में न केवल भारतीय एपीआई उद्योग को खत्म कर दिया, बल्कि देश की स्वास्थ्य सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया गया।

मार्च में, भारत ने घरेलू उद्योगों को चीनी डंपिंग से बचाने के लिए चार चीनी वस्तुओं – सॉफ्ट फेराइट कोर, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, एल्यूमीनियम पन्नी और ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरिक एसिड – पर एंटी–डंपिंग शुल्क लगाया था। एंटी–डंपिंग शुल्क 276 अमेरिकी डॉलर से लेकर 1,732 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक है और यह पांच साल के लिए है, जबकि एल्यूमीनियम पन्नी पर छह महीने का अस्थायी शुल्क लगाया गया है। इससे पहले 2024 में ही, व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) द्वारा दायर एंटी–डंपिंग जांचों में से 79 प्रतिशत चीनी उत्पादकों के खिलाफ जांच दायर की गई थीं।

चीन पहले से कहीं ज्यादा डंप क्यों करेगा? कारण यह है कि अमेरिकी टैरिफ के बाद, चीन के लिए अमेरिका को इतनी आसानी से निर्यात करना मुश्किल हो जाएगा; इसलिए, चीन अपने उत्पादों को अन्य बाजारों में डंप करने के लिए मजबूर होगा। सर्वप्रथम चीन के पास बहुत अधिक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है, जो उसे डंपिंग के लिए मजबूर करती है। दूसरे, चीनी कंपनियों को अन्य रूपों में सब्सिडी और सरकारी सहायता मिलती है, जिससे वे अपने उत्पादों को कृत्रिम रूप से कम कीमतों पर बेच पाते हैं। तीसरे, व्यापार तनाव भी वैकल्पिक बाजारों पर किसी तरह नियंत्रण करने के चीनी खेल का हिस्सा है। चीनी डंपिंग को लेकर आशंकाएं बेवजह नहीं हैं। हमारा एपीआई, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम, कपड़ा उद्योग, खिलौना यहित कई अन्य उद्योग चीनी डंपिंग का शिकार रहे हैं। हालाँकि, भारत सरकार का दावा है कि वह वैश्विक बाज़ारों में उभरती स्थितियों पर कड़ी नज़र रख रही है, लेकिन उद्योग चीन द्वारा संभावित डंपिंग प्रयासों से सभी चिंतित है। अमेरिका लंबे समय से चीनी आयात पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहा है। इस संदर्भ में अमेरिकी सीनेट ने दो विधेयक पेश किए हैं, नीदर परमानेंट नॉर नार्मल ट्रेड रिलेशंस अधिनियम (पीएनटीआर अधिनियम) और एक्सिंग नॉन मार्केट टैरिफ इवेजन एक्ट (एएनटीई अधिनियम)। पहला पीएनटीआर चीन से आयात पर केंद्रित है और दूसरा एएनटीई अन्य देशों में माल का उत्पादन करने वाली चीनी फर्मों को लक्षित करता है। पीएनटीआर अधिनियम चीन से सीधे आने वाले माल को प्रतिबंधित करेगा और एएनटीई अधिनियम वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में चीनी स्वामित्व वाली फैक्ट्रियों से आने वाले माल को प्रतिबंधित करेगा। इसलिए, नए कानूनों के माध्यम से अमेरिका उन सभी संभावित माध्यमों को बंद करने की कोशिश कर रहा है, जिनके माध्यम से चीन अमेरिका में अपने उत्पादों को बेचने की कोशिश कर सकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भारत ने डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत उपलब्ध कई व्यापार उपायों का उपयोग किया है, जिसमें एंटी–डंपिंग शुल्क और सुरक्षा उपाय शामिल हैं। भारत द्वारा लगाए गए अधिकांश एंटी–डंपिंग शुल्क चीन पर थे, बावजूद, चीनी आयात पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2024–25 में, अप्रैल से फरवरी के बीच के पहले 10 महीनों में, चीन से भारत का आयात एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 10.4 प्रतिशत बढ़कर 103.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। दूसरी ओर, चीन को निर्यात 15.7 प्रतिशत घटकर 12.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। इससे जाहिर तौर पर चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ गया है।

चीनी डंपिंग भारत की विकास आकांक्षाओं के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को चुनौती है। चीन को भारतीय बाजारों में अपने माल की डंपिंग के अनैतिक और अवैध तरीकों का उपयोग करने से रोकने के लिए अपनी प्रशासनिक मशीनरी को सुव्यवस्थित करना होगा। जब भी भारत ने एंटी–डंपिंग शुल्क या सुरक्षा उपायों या किसी अन्य तरीके का इस्तेमाल किया है, तो चीन ने इसे टालने की कोशिश की है। उत्पाद संशोधन, जहां कंपनियां अपने उत्पादों को एंटी–डंपिंग शुल्क के दायरे से बाहर करने के लिए थोड़ा संशोधित कर देती हैं; अवशोषण, जहां निर्यातक बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए शुल्क लागत को अवशोषित कर सकते हैं, यानी अपने लाभों को कम करके उसकी भरपाई कर सकते हैं; परिहार, जहां कंपनियां परिहार प्रथाओं में संलग्न हो सकती हैं, जैसे कि माल की उत्पत्ति या विशेषताओं को गलत तरीके से घोषित करना और कई अन्य तरीके। ये रणनीतियाँ देशों के लिए एंटी–डंपिंग उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने और अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करना चुनौतीपूर्ण बना सकती हैं। साथ ही चीन भी आसियान और अन्य देशों के माध्यम से अपने माल को सफलतापूर्वक पुनः भेज रहा है। चीनी सामानों पर अंकुश लगाने के नई दिल्ली के प्रयासों को विफल करने के लिए, चीन ने अपने कारखानों को अन्य देशों में स्थानांतरित कर दिया है और इस तरह इन देशों के माध्यम से माल की आपूर्ति कर रहा है। हम न केवल चीन से उत्पन्न होने वाले चीनी सामानों पर बल्कि चीन के बाहर स्थापित चीनी कारखानों द्वारा उत्पादित सामानों पर भी अंकुश लगाने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के नए प्रस्तावित कानूनों से संकेत ले सकते हैं।

बिम्सटेकः क्षेत्रीय सहयोग का उभरता और प्रभावी मंच

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 2 से 4 अप्रैल 2025 को बैंकाक में आयोजित बिम्सटेक के छठे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और संगठन में शमिल सभी सात एशियाई देशों के बीच बेहतर जुड़ाव, आर्थिक और डिजिटल संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का आह्वान किया। गौरतलब है कि 'बिम्सटेक' में बंगलादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 2024 के अनुमानों के अनुसार ये देश कुल 5. 23 ट्रिलियन अमरीकी डालर की जीडीपी का उत्पादन करते हैं, जिसमें स्वभाविकतौर पर भारत का योगदान सर्वाधिक है। यह बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। खास बात यह है कि पाकिस्तान इस संगठन का सदस्य देश नहीं है।

हालांकि यह संगठन 27 साल से भी अधिक समय से चल रहा है, शुरूआत में जून 1997 में इसका गठन बिस्टेक के नाम से हुआ, यानि बंगलादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड इकोनॉमिक कॉओपरेशन। थोड़े ही समय बाद दिसम्बर 1997 इसमें म्यांमार को शामिल करते हुए इसका नाम बिम्सटेक हो गया। फरवरी 2004 में नेपाल और भूटान इसके सदस्य बन गए और इसका नाम तो बिम्सटेक ही रहा, लेकिन उसे अब 'बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेकनिकल एंड इकोनॉमिक कॉओपरेशन' के नाम से जाना जाने लगा। अभी तक पूर्व में इसके शिखर सम्मेलन क्रमशः थाईलैंड, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका में होने के बाद इसका छठा शिखर सम्मेलन थाईलैंड बैंकॉक में आयोजित हुआ।

सार्क से कैसे अलग है बिम्सटेक

गौरतलब है कि भारत के पड़ोसी देशों का एक संगठन सार्क है। सार्क यानि साऊथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिजनल कोओपरेशन, दक्षिण एशिया के देशों भारत, बंगलादेश, भूटान, मालद्वीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, कुल सात देशों का संगठन के रूप में 1985 में बना। 2007 में इसमें अफगानिस्तान शामिल हुआ। सार्क के 9 पर्यवेक्षक देश भी है, जिसमें यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमरीका, ईरान और चीन भी शामिल हैं। सार्क देशों

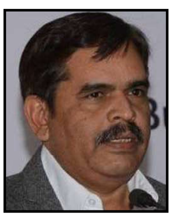

पाकिस्तान के नकारात्मक रवैये के कारण सार्क मृतप्राय हो चुका है, और बिम्सटेक नए क्षेत्रीय समूह के रूप में उभरा है, जिसमें भारत एक प्रमुख शक्ति है।

– डॉ. अश्वनी महाजन

के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साऊथ एशियन प्रफ्रेंशिएल ट्रेड एग्रीमेंट, यानि साप्टा; और साऊथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यानि साफ्टा नाम के दो समझौते क्रमशः 1995 और 2004 में हुए। इन समझौतों का उद्देश्य इस क्षेत्र में लोगों की भलाई के लिए व्यापार और विकास को बढ़ावा देना था। शुरूआती दौर से ही सार्क में कुछ विवाद रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के विरूद्ध छोटे देशों को भड़का कर उसे बदनाम करने का काम करना शुरू कर दिया था।

पाकिस्तान के इस रूख को देखते हुए भारत ने 1992 से शुरू 'लुक ईस्ट पॉलिसी' के तहत बिम्सटेक को बढ़ावा देने का काम शुरू किया। 1997 में इंडियन ओसिएन रिम एसोसिएशन, वर्ष 2000 में मैकाँग गंगा कोओपरेशन और 2015 में बंगलादेश, भूटान, भारत और नेपाल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट करते हुए बिम्सटेक को मजबूत करने का काम किया। गौरतलब है कि भारत के सार्क से विमुख होने के बाद सार्क का महत्व ही समाप्त हो गया और पिछले 10 सालों से भी ज्यादा समय से इसका एक भी शिखर सम्मेलन नहीं हुआ।

बिम्सटेक से क्या हैं आशाएं?

बिम्सटेक में शामिल भारत के पड़ोसी या समीपवर्ती सातों देश विकासशील देश हैं। इन देशों में आर्थिक और जनसंख्या के नाते सबसे बड़ा देश भारत है। आज जब दुनिया भर के देशों के बीच विभिन्न प्रकार के अवरोध और असमंजस बढ़ रहे हैं, भारत की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' के तहत इस क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन का महत्व और बढ़ जाता है। भारत ने पिछले एक दशक में जो तकनीकी और आर्थिक प्रगति की है, इस क्षेत्र के लोग उससे प्रभावित हैं। कनेक्टिविटी का मामला हो अथवा डिजिटाइजेशन की बात हो, अथवा अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग का मामला हो, भारत आज इस स्थिति में है कि इस क्षेत्र के देशों को मदद कर सके।

भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति और सॉफ्ट पावर दोनों ही उसे इस क्षेत्र के नेतृत्व हेतु बिम्सटेक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बिम्सटेक के छठे शिखर सम्मेलन में दिया गया भाषण खास महत्व रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्सटेक को दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बिम्सटेक क्षेत्रीय सहयोग, समन्वय और विकास हेतु एक प्रभावी मंच बन चुका है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने बिम्सटेक के एजेंडा और क्षमता को और मजबूत करने का आह्वान किया है।

प्रधानमंत्री ने बिम्सटेक में संस्थान और क्षमता निर्माण की दिशा में भारत के नेतृत्व में कई पहलों की घोषणा भी की। इनमें आपदा प्रबंधन, सतत समुद्री परिवहन, पारंपरिक चिकित्सा और कृषि में अनुसंधान और प्रशिक्षण पर भारत में बिम्सटेक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना शामिल है। उन्होंने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए एक नए कार्यक्रम की भी घोषणा की, जिसके तहत पेशेवरों, छात्रों, शोधकर्ताओं, राजनयिकों और अन्य लोगों को प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उन्होंने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में क्षेत्रीय आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए भारत द्वारा एक पायलट अध्ययन और क्षेत्र में कैंसर देखभाल के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम की भी पेशकश की। अधिक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण का आह्वान करते हुए, प्रधानमंत्री ने बिम्सटेक चौंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना और भारत में हर साल बिम्सटेक बिजनेस समिट आयोजित करने की भी पेशकश की। क्षेत्र को एक साथ लाने वाले ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने लोगों से लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की। भारत इस वर्ष बिम्सटेक एथलेटिक्स मीट की मेजबानी करेगा और 2027 में जब समूह अपनी 30वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब पहले बिम्सटेक खेलों की मेजबानी भी भारत करेगा। यह बिम्सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव की मेजबानी भी करेगा। क्षेत्र के युवाओं को करीब लाने के लिए प्रधानमंत्री ने यंग लीडर्स समिट, हैकाथॉन और यंग प्रोफेशनल विजिटर्स प्रोग्राम की घोषणा की।

अब जबकि पाकिस्तान के नकारात्मक रवैये के कारण सार्क मृतप्राय हो चुका है, और बिम्सटेक नए क्षेत्रीय समूह के रूप में उभरा है, जिसमें भारत एक प्रमुख शक्ति है, जहां क्षेत्र के विभिन्न देश अंतरिक्ष क्षेत्र, भुगतान प्रणाली, डिजिटलीकरण, औद्योगिकीकरण और अन्य में सहयोग के लिए भारत की ओर देख रहे हैं, यह भारत को इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का एक नया अवसर देता है, जहां चीन बुनियादी ढांचे और अन्य तरीकों से हावी होने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका सहित पड़ोसी देशों की प्रधानमंत्री की यात्रा एक संकेत है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग विकसित करने के बारे में गंभीरता से सोच रहा है। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इसका भू–राजनीतिक महत्व भी है। क्योंकि चीन भी इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बिजनेस समिट, यंग लीडर्स समिट, बिम्सटेक चैंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना, खेल आयोजन और ऐसे अन्य उपायों के रूप में बिम्सटेक देशों के साथ नियमित बातचीत, क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक सहयोग बेहतर करने में लंबा रास्ता तय कर सकती है। ❑❑

अब तो भारत धनुष उठाओ

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पहलगाम में आतंकवाद फैलाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। उसे कड़ा सबक सिखाया ही जाना चाहिए। मगर इसका तरीका क्या हो यह जटिल विषय है?

–अनिल तिवारी

पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर जो कायराना हमला हुआ, उसने हर किसी को झकझोर दिया है। हंसते खेलते परिवारों के बिखर जाने की घटना से हर कोई सहमा हुआ है। बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले दहशतगर्दों और उनके गुर्गों की बढ़ी ताकत को बयां करते हैं। हम लंबे समय से आतंकवादी वारदातों के गवाह रहे हैं लेकिन धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर पर हुए ताज़ा हमले बताते हैं कि आतंकवादी अपने मंसूबों को न सिर्फ हिमाकत की नई हदों तक पहुंचाने में कामयाब रहे, बल्कि सरकार और कानून व्यवस्था को सामने से अंगूठा दिखा रहे हैं। भारत में इस हमले पर तीखा जन आक्रोश दिख रहा है, प्रधानमंत्री ने भी झंझारपुर की जनसभा और अपने हालिया 'मन की बात' कार्यक्रम में आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देने की बात कही है, लेकिन सियासी स्तर पर बदकिस्मती से अब भी एक दूसरे की टांग खिंचाई ही चल रही है। हर बार की तरह अतिरेकी ध्रुवों पर बहस करने की अभ्यस्त मीडिया जो कल तक "फिर से मुस्कुराने लगी है कश्मीर की वादियां" बनाने की जगह "फिर से सुलगने लगी है कश्मीर की वादियां" बनाने में मशगूल हैं। ऐसे में अगर हम अभी कुछ नहीं करते तो दुश्मन का दुस्साहस दोबारा और वीभत्स रूप में फन उठा सकता है।

अगर भारत को सिर्फ पछतावा करने वालों का देश नहीं बने रहना है और उसमें थोड़ा भी पौरुष बचा हुआ है, तो 22 अप्रैल 2025 को हुए बैसरन हमला के बाद उसे एक नए और शक्तिशाली संकल्प के साथ उठ खड़ा होना होगा। शांतिप्रिय होने के नाम पर हम अपना लुंजपुंजपन बहुत दिखा चुके। सहनशील होने के कारण हम जरूरत से ज्यादा बर्दाश्त कर चुके। व्यवस्था के नाम पर योजनापूर्वक चलाई जाती रही अव्यवस्था का जितना शिकार हो सकते थे, हो चुके। हालांकि, हाल के वर्षों में हुई सैन्य प्रगति से हम आश्वस्त हैं कि हमारी वर्तमान सीमाएं सुरक्षित हैं। लेकिन असली देश सीमाओं पर नहीं, सीमाओं के भीतर होता है। यहां हम उतने ही लाचार और अप्रस्तुत हैं जितने नादिरशाह या अब्दाली के जमाने में

थे। दस–बारह आदमियों का हथियारबंद गिरोह हमारे एक बड़े और संपन्न शहर में घुस आए और कत्लेआम करने लगे, इसे सिर्फ कायराना और बर्बरतापूर्ण हमला' कहकर टाल देना भारत को एक नपुंसक देश बनाकर रखने का आत्म–क्रूर मंत्र है। अब हम बयान नहीं सुनना चाहते, कर्मठता देखना चाहते हैं।

बेशक हमें 9/11 के बाद के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरह तानाशाह और गुंडा देश नहीं बनना है। हम व्यवस्था स्थापित करने के नाम पर अव्यवस्था फैलाना नहीं चाहते। जो यह कहता है कि अब हमें पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए, वह युद्ध–पिपासु है। दोनों देशों के पास नाभिकीय हथियार होने से यह उतना आसान भी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। यह विशुद्ध कायरता होगी। हमें पाकिस्तान के शासकों से बहुत साफ लफ्जों में कहना होगा कि वे अपने यहां से आतंकवाद के संपूर्ण तंत्र को तुरंत नष्ट करें, नहीं तो संभव हुआ तो यह काम कई देशों के साथ मिल कर और ऐसा न हो सका, तो भारत अकेले करेगा। पिछले लगभग एक दशक का अनुभव यह बताता है कि भारत ऐसा कर सकने में सक्षम भी है। यह सिर्फ भारत का कर्त्तव्य नहीं है कि वह आतंकवादियों को अपनी सीमा के भीतर आने न दे। यह पाकिस्तान का भी फर्ज है कि वह आतंकवादियों को अपनी सीमा पार न करने दे। कई वर्षों से जो हो रहा है, रुक–रुक कर किया जा रहा वह युद्ध नहीं तो और क्या है? कश्मीर में धारा 370 के उन्मूलन के बाद से ही लक्षित हत्याओं का जो सिलसिला शुरू हुआ है वह बदस्तूर जारी है। यह युद्ध पाकिस्तान के हुक्मरान स्वयं और सीधे न कर रहे हों, तब भी इसके लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल तो हो ही रहा है। इस इस्तेमाल को रोकने की गारंटी पाकिस्तान नहीं दे सकता, तो भारत और बाकी दुनिया को इसे अंजाम देना होगा।

अब तक की घटनाओं की सीख यही है कि हमें प्रतिक्षण अलर्ट रहना होगा- इसके लिए कोई भी कीमत कम है। भारत के एक भी नागरिक की जान जाती है, तो यह पूरे मुल्क के लिए शर्म और धिक्कार की बात है।

हमें सभी दिशाओं में सक्रिय होना चाहिए। एक, सबसे पहले मामले को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में ले जाना होगा। वहां भारत में बढ़ते हुए आतंकवाद को महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनाना होगा। सुरक्षा परिषद को कायल करना होगा कि वह आतंकवाद के खिलाफ एक सुविचारित नीति और कार्यक्रम बनाए। दो, हमें आतंकवाद की समस्या पर तुरंत दो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना चाहिए। एक सम्मेलन सरकारों के स्तर पर हो और दूसरा सम्मेलन बुद्धिजीवियों और चिंतकों के स्तर पर। इससे आतंकवाद के खिलाफ व्यापक माहौल बनाने में मदद मिलेगी। तीन, हमें जल्द से जल्द एक बहुराष्ट्रीय सैनिक सहयोग दल बनाना चाहिए जो आतंकवाद के निर्यात को रोकने के लिए सक्षम कार्रवाई कर सके। इस सहयोग दल में जितने अधिक देशों का प्रतिनिधित्व हो सके, उतना ही अच्छा है। कुल मिलाकर, इरादा यह साबित कर देने का होना चाहिए कि भारत अब 'शून्य आतंकवाद' की स्थिति पैदा करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ और पूरी तरह तैयार है।

चार, असली तैयारी यह होगी कि हम भारत के चप्पे–चप्पे को 'प्रतिबंधित' और सुरक्षित' क्षेत्र बना दें। रेड अलर्ट और हाई अलर्ट सुनते–सुनते हमारे कान पक गए हैं। यह नागरिक सुरक्षा की नौकरशाही की स्थायी शायरी है। बीच–बीच में अलर्ट हो जाना क्रमिक आत्महत्या की तैयारी है। अब तक की घटनाओं की सीख यही है कि हमें प्रतिक्षण अलर्ट रहना होगा– इसके लिए कोई भी कीमत कम है। भारत के एक भी नागरिक की जान जाती है, तो यह पूरे मुल्क के लिए शर्म और धिक्कार की बात है।

यह हमारा सौभाग्य है कि भारत अब भी गांवों का देश है, जहां आतंकवाद की घटना हो ही नहीं सकती। बच गए तटीय इलाके, शहर और कस्बे, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे, तो उनकी संख्या बड़ी जरूर है, पर इतनी बड़ी भी नहीं है कि उन्हें पल–प्रतिपल निगरानी में रखना असंभव हो। भारत के पास बहुत बड़ी सेना है। उसका एक हिस्सा इस काम में लगा देना चाहिए। साथ ही सेना में शामिल अग्निवीरों की तरह राष्ट्रीय सुरक्षा दल के नाम से लाखों नौजवानों की एक विशाल फौज संगठित की जानी चाहिए, जिसके सदस्य सभी प्रमुख स्थलों की निगरानी करेंगे। इसके लिए इमरजेंसी घोषित करनी पड़े, तो संकोच नहीं करना चाहिए। देश के पास पैसे की कमी नहीं है। और जरूरत हो तो नागरिक आर्थिक सहयोग देने के लिए बड़े उत्साह से आगे आएंगे। जान है तो जहान है। कम से कम दस वर्षों तक बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह की स्व–निगरानी का कार्यक्रम चलाया जाए, तो न केवल हम एक सुरक्षित राष्ट्र बन सकेंगे, बल्कि हमारे नागरिक जीवन में भी चुस्ती आ सकेगी। विदेशी आतंकवाद के साथ–साथ देशी उग्रवाद, नक्सलवाद को भी कुचला जा सकेगा।

यह सब पढ़कर ऐसा लग सकता है कि यह भारत को एक सैनिक देश बनाने का प्रस्ताव है। ऐसा कतई नहीं है। यह इस समय की एक अति सामान्य जरूरत है। जब हमारे घर में चोर या डाकू घुस आते हैं, तब क्या घर का हर सदस्य, यहां तक कि छोटे बच्चे भी, सैनिक नहीं बन जाते? जब किसी गांव पर हमला होता है– पशुओं का या आदमियों का, तो क्या गांव के सभी लोग – यहां तक कि स्त्रियां भी बल्लम, लाठी, डंडा, छड़ी जो भी तुरंत मिल जाए, उसे लेकर गांव की रक्षा करने के लिए घर से निकल नहीं पड़ते? आज देश ऐसा ही संकटग्रस्त घर या गांव है। यह हमारे लिए हिफाजत और इज्जत, दोनों का मामला है। सिर्फ सीमा पर गश्त लगाकर हम क्या करेंगे, अगर सीमाओं के भीतर हमारे भाई, बहन, बुजुर्ग, बच्चे, विदेशी अतिथि इसी तरह एक–एककर आतंकवादी हमलों का शिकार होते रहें? आज हममें से हर कोई बारी–बारी से असुरक्षित है। विकल्प दो ही हैं– या तो कोई भी आदमी घर से न निकले या सभी लोग घरों से निकलें और एक राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र तैयार करें। जब तक हम राष्ट्रीय स्तर पर शोर नहीं मचाएंगे, भेड़िए नहीं भागेंगे। वे ताक में रहेंगे और जहां–तहां हमला करते रहेंगे। हम कब तक नौकरशाहों द्वारा तैयार बयान जारी करते रहेंगे? हमारे मंत्री और नेता कब तक मृतकों और घायलों को देखने अस्पताल जाते रहेंगे ?

सवाल यह है कि क्या इस ऐतिहासिक मौके का यह रचनात्मक इस्तेमाल हो सकेगा। क्या ऐसा प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और साहसी नेतृत्व हमारे पास है? पुलवामा और उरी के सबक साक्षी हैं कि भारत मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। कह तो सभी यह रहे हैं कि यह कश्मीर पर नहीं, भारत पर हमला है। लेकिन हमले के वक्त देश की हर शिरा में जो सनसनी महसूस की जानी चाहिए, वह वास्तविक जीवन में दिखाई नहीं पड़ती। हम रगों में दौड़ते रहने के कायल नहीं हैं। लहू है तो उसे आंख से टपकना चाहिए। लोग दुखी और चिंतित जरूर हैं, पर सकपकाए हुए भी हैं। प्रधानमंत्री के कड़े बयान और आतंक के खिलाफ तीखे तेवर से देश की जनता में गर्व और गौरव की आशा बलवती हुई है। सरकार ने पाकिस्तान को कठघरे में खड़ा करते हुए सिंधु नदी जल समझौता स्थगित कर दिया है। पाकिस्तानी नागरिकों को देश की सीमा से बाहर करने तथा बाघा अटारी बॉर्डर से आवाजाही बंद करने तथा पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात कार्मिकों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दिया है। सरकार ने पाकिस्तान के लिए अपना एयरबेस भी बंद करने का ऐलान कर दिया है।

सरकार ने पाकिस्तान को कठघरे में खड़ा करते हुए सिंधु नदी जल समझौता स्थगित कर दिया है। पाकिस्तानी नागरिकों को देश की सीमा से बाहर करने तथा बाघा अटारी बॉर्डर से आवाजाही बंद करने, पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनाती कार्मिकों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दिया है। सरकार ने पाकिस्तान के लिए अपना एयरबेस भी बंद करने का ऐलान कर दिया है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पहलगाम में आतंकवाद फैलाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। उसे कड़ा सबक सिखाया ही जाना चाहिए। मगर इसका तरीका क्या हो यह जटिल विषय है? यूं तो युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है, पर पाकिस्तान के मामले में इसे लेकर गंभीरता से मंथन की जरूरत है। असल मुद्दा आतंकवाद को समाप्त करना है। भारत हमेशा युद्ध का विरोध और शांति का समर्थन करता रहा है। मगर इसका यह अर्थ कतई नहीं की पहलगाम जैसे हमले के बाद भी सरकार कोई ढुल–मुल रवैया अख्तियार करें। पाकिस्तान में सेना और सियासी हुकूमत की समानांतर सत्ता है। वहां की सेना नागरिकों से नजरे बचाने के लिए समय–समय पर ऐसी कुत्सित कार्रवाइयों को हवा देती रही है। छिपी बात नहीं है कि आतंकी हमला करने वाले संगठनों के सरगना वहां की सेना का संरक्षण पाए हुए हैं। पहलगाम हमले के बाद घाटी के लोगों में भी गम के साथ–साथ गुस्सा है। दुनिया के बहुत सारे देश पाकिस्तान की निंदा कर चुके हैं। भारत के सभी राजनीतिक दल सरकार के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए आतंकवाद पर रणनीतिक चोट करने का अनुकूल वातावरण है और सरकार को इसका उपयोग करना ही चाहिए।

ऐसी स्थति में देश भर के, सभी भाषाओं और समाजों के बुद्धिजीवियों, लेखकों, पत्रकारों और शिक्षकों का यह राष्ट्रीय कर्तव्य हो जाता है कि वे जितना शोर मचा सकते हैं, मचाएं और भारत के शासन तंत्र, सभी राजनीतिक दलों की शिराओं में जमे हुए सर्द खून में रवानगी ले आएं। नहीं तो हर चौथे–पांचवें दिन या दूसरे–तीसरे महीने हम अपना–सा मुंह बना कर एक–दूसरे से चुपचाप पूछते रहेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या होगा?

❑❑

कृषि क्षेत्र में करवट बदलता भारत

भारत में लगभग 60 प्रतिशत आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। जबकि, कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 16 प्रतिशत के आस पास बना हुआ है। इस प्रकार, भारत में यदि गरीबी को जड़ मूल से नष्ट करना है तो कृषि के क्षेत्र में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को लागू करना ही होगा। भारत ने हालांकि आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त सफलताएं अर्जित की हैं और भारत आज विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तथा शीघ्र ही अमेरिका एवं चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। परंतु, इसके आगे की राह अब कठिन है, क्योंकि केवल सेवा क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र के बल पर और अधिक तेज गति से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है और कृषि क्षेत्र में आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना होगा।

भारत में हालांकि कृषि क्षेत्र में कई सुधार कार्यक्रम लागू किए गए हैं और भारत आज कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। परंतु, अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। पहले किसानों के पास पूंजी का अभाव रहता था और वे बहुत ऊंची ब्याज दरों पर महाजनों से ऋण लेते थे और उनके जाल में जीवन भर के लिए फंस जाते थे, परंतु, आज इस समस्या को बहुत हद तक हल किया जा सका है और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को आसान नियमों के अंतर्गत बैकों से पर्याप्त ऋण की सुविधा उपलब्ध है और इस सुविधा का लाभ आज देश के करोड़ों किसान उठा रहे हैं। दूसरे, इसी संदर्भ में किसान सम्मान निधि योजना भी किसानों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो रही है और इस योजना का लाभ भी करोड़ों किसानों को मिल रहा है। इससे किसानों की कृषि सम्बंधी बुनियादी समस्याओं को दूर करने में सफलता मिली है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी भी दृष्टि से कृषि क्षेत्र के योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता है क्योंकि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का विकास भी कृषि क्षेत्र के विकास पर ही निर्भर करता है।

– प्रहलाद सबनानी

भारतीय कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है। देश के ग्रामीण इलाकों में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। इस समस्या को हल करने के उद्देश्य से भारत सरकार प्रति बूंद अधिक फसल की रणनीति पर काम कर रही है एवं सूक्ष्म सिंचाई पर बल दिया जा रहा है ताकि कृषि के क्षेत्र में पानी के उपयोग को कम किया जा सके तथा जल संरक्षण के साथ सिंचाई की लागत भी कम हो सके।

देश में कृषि जोत हेतु पर्याप्त भूमि का अभाव है और देश में सीमांत एवं छोटे किसानों की संख्या करोड़ों हो गई है। ऐसे किसान किसी तरह अपना और परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं इनके लिए कृषि लाभ का माध्यम नहीं रह गया है। इन तरह की समस्याओं के हल हेतु अब केंद्र सरकार विभिन्न उत्पादों के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य में, मुद्रा स्फीति को ध्यान में रखकर, वृद्धि करती रहती है, इससे किसानों को अत्यधिक लाभ हो रहा है। भंडारण सुविधाओं (गोदामों एवं कोल्ड स्टोरेज का निर्माण) में पर्याप्त वृद्धि दर्ज हुई है एवं साथ ही परिवहन सुविधाओं में सुधार के चलते किसान कृषि उत्पादों को लाभ की दर पर बेचने में सफल हो रहे है अन्यथा इन सुविधाओं में कमी के चलते किसान अपने कृषि उत्पादों को बाजार में बहुत सस्ते दामों पर बेचने पर मजबूर हुआ करता था। खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना भारी मात्रा में की जा रही है इससे कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिल रहा है एवं कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकने में सफलता मिल रही है।

आज भारत में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि उर्वरकों के उपयोग की आवश्यकता कम हो एवं कृषि उत्पादकता बढ़े। इस संदर्भ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी किसानों की मदद कर रही है इससे किसान कृषि भूमि पर मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कृषि उत्पाद कर रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार को स्थापित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसान सीधे ही उपभोक्ता को उचित दामों पर अपनी फसल को बेच सके। साथ ही, कृषि फसल बीमा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि देश में सूखे, अधिक वर्षा, चक्रवात, अतिवृष्टि, अगजनी आदि जैसी प्रकृतिक आपदाओं के चलते प्रभावित हुई फसल के नुकसान से किसानों को बचाया जा सके। आज करोड़ों की संख्या में किसान फसल बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं।

देश में खेती किसानी का काम पूरे वर्ष भर तो रहता नहीं है अतः किसानों के लिए अतिरिक्त आय के साधन निर्मित करने के उद्देश्य से डेयरी, पशुपालन, मधु मक्खी पालन, पोल्ट्री, मत्स्य पालन आदि कृषि सहायक क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसानों को अतिरिक्त आय की सुविधा मिल सके।

विश्व के विभिन्न देशों ने अपनी आर्थिक प्रगति के प्रारम्भिक चरण में कृषि क्षेत्र का ही सहारा लिया है। औद्योगिक क्रांति तो बहुत बाद में आती है, इसके पूर्व कृषि क्षेत्र को विकसित अवस्था में पहुंचाना होता है। भारत में भी आज कृषि क्षेत्र, देश की अर्थव्यवस्था का आधार है, जो न केवल खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि करोड़ों नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर भी निर्मित करता है। साथ ही, औद्योगिक इकाईयों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराता है। वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र की महत्ता आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार बनी रहेगी क्योंकि इस क्षेत्र से पूरी दुनिया के नागरिकों के लिए भोजन, उद्योग के लिए कच्चा माल एवं रोजगार के अवसर कृषि क्षेत्र से ही निकलते रहेंगे। हां, कृषि क्षेत्र में आज हो रही प्रौद्योगिकी में प्रगति के चलते किसानों को कम भूमि पर, मशीनों का उपयोग करते हुए, कम पानी की आवश्यकता के साथ भी अधिक उत्पादन करना सम्भव हो रहा है। इससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ कृषि उत्पाद की लागत कम हो रही है और किसानों के लिए खेती एक उद्योग के रूप में पनपता हुआ दिखाई दे रहा है और अब यह लाभ का व्यवसाय बनता हुआ दिखाई देने लगा है।

केला, आम, अमरूद, पपीता, नींबू जैसे कई ताजे फलों एवं चना, भिंडी जैसी सब्जियों, मिर्च, अदरक जैसे प्रमुख मसालों, जूट जैसी रेशेदार फसलों, बाजरा एवं अरंडी के बीज जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों एवं दूध के उत्पादन में भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर आ गया है। दुनिया के प्रमुख खाद्य पदार्थों यथा गेहूं एवं चावल का भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत वर्तमान में कई सूखे मेवे, कृषि आधारित कपड़े, कच्चे माल, जड़ और कांड फसलों, दालों, मछली पालन, अंडे, नारियल, गन्ना एवं कई सब्जियों का पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। पिछले कुछ वर्षो के दौरान भारत 80 प्रतिशत से अधिक कृषि उपज फसलों (काफी एवं कपास जैसी नकदी फसलों सहित) के साथ दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया था। साथ ही, भारत सबसे तेज विकास दर के साथ पशुधन एवं मुर्गी मांस के क्षेत्र में दुनिया के पांच सबसे बड़े उत्पादक देशों में शामिल हो गया है।

कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी भी दृष्टि से कृषि क्षेत्र के योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता है क्योंकि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का विकास भी कृषि क्षेत्र के विकास पर ही निर्भर करता है। अधिकतम उपभोक्ता तो आज भी ग्रामीण इलाकों में ही निवास कर रहे हैं एवं उद्योग क्षेत्र में निर्मित उत्पादों की मांग भी ग्रामीण इलाकों से ही निकल रही है। अतः देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना ही होगा। ❑❑

(प्रहलाद सबनानी, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ग्वालियर)

गरीब और गरीब का कल्याण

भारत की गरीबी कम हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब वह 5 प्रतिशत से भी कम है। छत्तीसगढ़ और झारखंड छोड़ कर बाकी सभी राज्यों में यह प्रतिशत 10 से कम है और यह बात भारत और भारतवासियों के लिए खुशी की है। लेकिन ग़रीब और उसके जीवन निर्वाह का प्रश्न अभी भी है। इसलिए यह जानना और समझना जरूरी है कि भारत सरकार इसके लिए क्या कर रही है? वैसे यह बात भी सही है कि स्वतंत्र भारत में शुरू से ही गरीबी का प्रश्न गंभीर रहा है और सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत में गुलामी का इतिहास शोषण का रहा है और अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए, तब भारत को वे कंगाल करके ही गए थे। वह परिस्थिति गंभीर थी। गरीबी और बेरोजगारी तो चरम सीमा पर थी, लेकिन इसका सामना करने के लिये भारत के पास पर्याप्त साधन नहीं थे। यह कहना ग़लत नहीं होगा कि तब विदेशी अनाज और विदेशी दान पर भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह निर्भर थी। साधनों की कमी से निपटते–निपटते भारत आज आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है और अपने बलबूते पर अपनी समस्याओं को सुलझा रहा है। गरीबी का प्रश्न भी उन्हीं में से एक है।

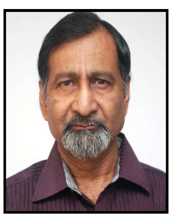

सही नीति यही होनी चाहिए कि सरकार गरीब को सशक्त और रोजगार क्षमता से युक्त करें ताकि वे आत्मनिर्भर हो सके, वरना भारत का नौजवान पूरी तरह पराधीन अवस्था का ही लोभी होगा और देश को सभी दृष्टि से कमजोर करेगा।

–अनिल जवलेकर

भारत सरकार और ग़रीब कल्याण

भारत सरकार की पूरी व्यवस्थाएँ ही विकास और समाज कल्याण में लगी हुईं है और हर मंत्रालय का हर विभाग गरीब के लिए कुछ न कुछ योजना चला रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार गरीबों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत तक और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत तक को सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण तथा चीनी क्षेत्र के विनियमन की व्यवस्था कर रही है। 2025–26 के केंद्रीय अर्थ संकल्प में इसके लिए 2,11,406 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, आवंटित खर्चे में 96 प्रतिशत हिस्सा खाद्यान्न सब्सिडी के लिए है। यह सब्सिडी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्यों को प्रदान की जाती है, ताकि वे किसानों से सरकार द्वारा अधिसूचित मूल्य पर खाद्यान्न खरीद सकें और उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत रियायती दरों पर बेच सकें।

खाद्यान्न सुरक्षा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लाभार्थी परिवारों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एक अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), जिसमें सबसे गरीब परिवार शामिल हैं, और दूसरे प्राथमिकता वाले परिवार। अंत्योदय अन्न योजना के तहत परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है, जबकि प्राथमिकता वाले परिवारों के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाता है। दिसंबर 2022 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों को 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने का निर्णय लिया। बाद में, इसे 1 जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।

लाभार्थी गरीब

खाद्यान्न सुरक्षा के तहत गरीब लाभार्थी चुनना एक जटिल प्रक्रिया है और यह कार्य चुनौती भरा है। भारतीय व्यवस्था इसके लिए विभिन्न मानदंडों, सर्वेक्षणों और डिजिटल टूल्स का उपयोग करती है। सामाजिक–आर्थिक और जाति जनगणना 2011,राशन कार्ड प्रणाली, आधार–आधारित पहचान, आय और सामाजिक–आर्थिक मानदंड आदि से लाभार्थी की पहचान की जाती है। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले परिवार, भूमिहीन कृषि मजदूर और दिहाड़ी श्रमिक, सरकारी नौकरी या व्यवसाय न रखने वाले परिवार, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी), महिला प्रधान परिवार, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएँ, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे (6–14 वर्ष), ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्र, आपदा–प्रभावित और संघर्षग्रस्त क्षेत्र, शहरी झुग्गियाँ और बेघर आबादी आदि ऐसी योजनाओं के लाभार्थी होते है। उच्च आय वर्ग के परिवार, जिनके पास फोर व्हीलर, एसी, ज्यादा जमीन, या व्यावसायिक संपत्ति है या जो दुकान, फैक्ट्री या बड़े पैमाने पर व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न हैं, ऐसे इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते। खाद्यान्न सुरक्षा तहत लाभार्थियों की 2011 की जनगणना के अनुसार अनुमानित संख्या लगभग 80 करोड़ थी। इस बात पर विवाद है कि खाद्यान्न सुरक्षा तहत कितने लोगों को लाभ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी खाद्य सुरक्षा अहम बताते हुए खाद्यान्न का अधिकार मूलभूत माना है। इसलिए नवीनतम अनुमानों के अनुसार लाभार्थी 90 करोड़ होने चाहिए। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह संख्या बहुत है और सरकार को इसमें कमी लानी चाहिए।

क्या है खाद्यान्न सब्सिडी

सब्सिडी एक अनुदान योजना है जो अपेक्षित लाभार्थी को निश्चित मदद हेतु दिया जाता है। खाद्यान्न सब्सिडी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को दी जाती है और इसमें बफर स्टॉक के भंडारण की लागत भी शामिल है। 2020–21 से 2022–23 के बीच, खाद्य सब्सिडी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत किया गया व्यय भी शामिल था। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त दिया गया, जिससे सरकार पर तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आया।

बढ़ती सब्सिडी चिंता का विषय

खाद्य सब्सिडी सीआईपी (सेंट्रल इश्यू प्राइस) और खाद्यान्नों के प्रबंधन की आर्थिक लागत के बीच का अंतर होती है। इसमें बफर स्टॉक बनाए रखने की लागत और राज्य सरकारों को किए गए अन्य आवंटन भी शामिल होते हैं। सीआईपी (सेंट्रल इश्यू प्राइस) वह दर है जिस पर केंद्र सरकार खाद्यान्न जारी करती है, जबकि आर्थिक लागत में खाद्यान्नों के अधिग्रहण और वितरण की लागत शामिल होती है। वर्षों से, खाद्य सब्सिडी में वृद्धि का मुख्य कारण सीआईपी (सेंट्रल इश्यू प्राइस) में संशोधन न होना रहा है, जबकि खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में वृद्धि हुई है। 2002–03 में चावल की आर्थिक लागत रू. 11.7 प्रति किलोग्राम और गेहूं की रू. 8.8 प्रति किलोग्राम थी। 2024–25 में, चावल की अनुमानित आर्थिक लागत रू. 39.8 प्रति किलोग्राम और गेहूं की रू. 27.7 प्रति किलोग्राम है। खाद्य प्रबंधन की आर्थिक लागत को कम करना कठिन है, लेकिन खाद्य सब्सिडी बिल को कम करने के लिए सीआईपी (सेंट्रल इश्यू प्राइस) में संशोधन करने पर विचार करने की आवश्यकता है। 15वें वित्त आयोग ने भी यह देखा कि खाद्य अनाज की आर्थिक लागत में वृद्धि को आंशिक रूप से सब्सिडी वाले खाद्यान्नों के सीआईपी को बढ़ाकर संतुलित करने की आवश्यकता होगी। एक सिफारिश यह रही है कि खाद्यान्नों को केवल अत्यंत गरीब परिवारों को ही सब्सिडी दरों पर प्रदान किया जाए।

आजकल भारतीय राजनीति वोटों की गिनती तक सीमित हो गई है और परिणामस्वरूप सरकारी खर्च पर सेवा एवं वस्तु मुफ्त बाटने पर ध्यान दिया जा रहा है जो अर्थव्यवस्था पर बोझ डालने वाला है।

मुफ्त की राजनीति अहितकारी

वैसे आजकल भारतीय राजनीति वोटों की गिनती तक सीमित हो गई है और परिणामस्वरूप सरकारी खर्च पर सेवा एवं वस्तु मुफ्त बाटने पर ध्यान दिया जा रहा है जो अर्थव्यवस्था पर बोझ डालने वाला है। यह मानना होगा कि पर्यावरण बदल रहा है और परिणाम भी अब सामने आ रहे है। आने वाले समय में सरकार की मदद और सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। यह देखा गया है कि संकट समय में बीमा व्यवस्था भी काम नहीं आती। अमरीका में जो जंगल की आग ने हाय–तौबा मचाई उससे हुए नुकसान को देखकर बीमा कंपनियाँ भी भाग खड़ी होती दिखती है। इसलिए सरकार के खाद्य भंडार और तिजोरी भरी रहे यही अच्छा होगा। सही नीति यही होनी चाहिए कि सरकार गरीब को सशक्त और रोजगार क्षमता से युक्त करें ताकि वे आत्मनिर्भर हो सके, वरना भारत का नौजवान पूरी तरह पराधीन और लोभी होगा तथा देश को सभी दृष्टि से कमजोर करेगा। ❑❑

आत्मनिर्भरता के मंत्र से मिल रही रक्षा क्षेत्र को मजबूती

वैश्विक मंचों पर भारत की छवि रक्षा के मामले में सशक्त होती जा रही है। 'मेक इन इंडिया' के जरिए सरकार का जोर आत्मनिर्भरता पर है। आज देश में ही हथियार से लेकर लड़ाकू विमान तक बनाए जा रहे हैं। बीते एक दशक में भारत का निर्यात 25 गुना यानी करीब 24 सौ प्रतिशत बढ़ चुका है। लोवी इंस्टिट्यूट पावर इंडेक्स की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि रक्षा क्षेत्र में भारत दुनिया के सिरमौर देशों की कतार में गर्व और इज्जत के साथ खड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार सैन्य क्षमता के पांच पैमानों में भारत चौथे स्थान तक पहुंच चुका है। रक्षा मंत्रालय की स्पष्ट राय है कि अगर हम एक विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हमें आधुनिक हथियारों उपकरणों के साथ मजबूत सशस्त्र बलों की आवश्यकता होगी, इसलिए हमारे पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना आवश्यक है। भारत हथियार निर्यातक 25 देशों की सूची में स्थान बना चुका है। वर्ष 2016–17 तक भारत का रक्षा निर्यात हजार करोड रुपए तक भी नहीं पहुंच पाता था जबकि आज 20,000 करोड़ का आंकड़ा छू रहा है। सरकार का कहना है कि वर्ष 2028–29 तक भारतीय वार्षिक रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड रुपए और रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ से ऊपर पहुंचाने की आशा है।

वर्ष 2023–24 रक्षा क्षेत्र के लिए विकास एवं उपलब्धियों वाला कहा जायगा, क्योंकि इस वर्ष देश की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करनेके लिए अनेक कार्य हुए और भारत रक्षा चुनौतियों से निबटने में सक्षम रहा। इस साल एलओसी पर चीन की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए देश ने अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत किया। भारतीय सेना ने विषम पहाड़ी एवं भयंकर ठंड वाली परिस्थितियों में चीनी सेना की चुनौती से निबटने के लिए अपनी तैयारी में इजाफा किया। इसी तरह पाकिस्तानी सीमा पर मिलने वाली आतंकी

'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए विदेश से रक्षा आयात को कम करने का फैसला लेकर रक्षा उपकरणों को स्वदेशी कम्पनियों से खरीदने के ऑर्डर दिये गये।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

चुनौतियों का बेहतर जवाब दिया गया। चीन की सीमा पर वर्ष 2020 में जो तनाव शुरू हुआ था वह अभी तक समाप्त नहीं हुआ। चीन ने अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख तक, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा तक अपनी सैन्य तैयारी बढ़ा रखी है। इसके अलावा पाकिस्तान सीमा पर बढ़ती आतंकी घुसपैठ एवं गोलीबारी के कारण चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। चीन एवं पाकिस्तान की इन हरकतों से निबटने के लिए जवानों को आक्रामक तौरपर मजबूत किया गया। सैन्य ताकत बढ़ाने के उद्देश्य से सेना के तोपखाने तथा वायु सेना के लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ायी गयी। इसके अलावा गहन युद्ध के लिए हथियार और गोला–बारूद रखने की छूट दी गयी। वर्ष 2023 के दौरान रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की ओर काफी आगे बढ़ा। 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए विदेश से रक्षा आयात को कम करने का फैसला लेकर रक्षा उपकरणों को स्वदेशी कम्पनियों से खरीदने के ऑर्डर दिये गये। डीएसी की बैठक में 97 तेजस मार्क–1, लड़ाकू विमान, 156 प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर, तीसरे नये स्वदेशी विमानवाहक पोत के निर्माण, सुखोई–30 एमकेआई श्रेणी के 87 विमानों का आधुनिकीकरण, 556 गन, 55 कार्बाइन, 220 माउंटेन गन सिस्टम, 450 टोड आर्टिलरी गन सिस्टम तथा मध्यम दूरी की जमीन से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइलों के खरीदे जाने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है। इससे भारतीय सेनाओं की ताकत कई गुना बढ़ जायगी। डीएसी की मंजूरी वाली 2.23 लाख करोड़ रुपये की यह खरीद घरेलू रक्षा उद्योगों से की जायेगी। वर्ष 2023 में रक्षा उत्पादन रिकार्ड एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया। इसके अलावा रक्षा निर्यात नयी ऊंचाइयों को पार करते हुए 16,000 करोड़ तक पहुंच गया।

डीएसी ने तीसरे विमानवाहक पोत के निर्माण को मंजूरी दे दी है। नौसेना के पास अभी दो विमानवाहक पोत हैं। इनमें से विक्रमादित्य रूस से खरीदा गया था और विक्रान्त स्वदेश निर्मित है। नया विमानवाहक पोत स्वदेशी विक्रान्त की तरह ही होगा। यह पोत 40,000 करोड़ की लागत से बनेगा। 45,000 टन वजन वाला यह पोत कोचीन शिपयार्ड में बनाया जायगा। इसकी लम्बाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर एवं गति 52 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस पर करीब 28 लड़ाकू विमानों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर, मिसाइल और बमों जैसे खतरनाक हथियार तैनात रहेंगे। इससे हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत की ताकत काफी बढ़ जायगी। इसी तरह स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत के शिखर का अनावरण 6 नवम्बर को किया गया। यह पोत शत्रु की पनडुब्बियों, युद्धपोतों, एंटी सबमरीन मिसाइलों और युद्धक विमानों का मुकाबला करने की क्षमता रखता है।

नौसेना को स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत आईएनएस इंफाल 26 दिसम्बर को मिल गया। यह समुद्र में शत्रु की चालबाजियों पर नजर रखेगा। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। इसमें पोतरोधी मिसाइलें एवं तारपीडो भी लगे हैं। यह अत्याधुनिक हथियारों एवं सेंसरों से लैस उन्नत, शक्तिशाली तथा बहुआयामी युद्धपोत है। इस जहाज में ब्रह्मोस एसएसएम के अलावा एमआरसेम, तारपीडो ट्यूब लांचर्स, एंटी सबमरीन रॉकेट लांचर्स आदि की तैनाती 'शत्रु सेना' के लिए काल बन जायेंगे। गत 22 नवम्बर को भारतीय नौसेना को तीसरी बार्ज नौका मिसाइल सह गोला–बारूद बार्ज, एलएसएएम 9 (यार्ड 77) प्राप्त हो गयी है। बार्ज नौका को मुम्बई के नौसेना डॉकयार्ड के आईएनएस तुणीर में शामिल किया गया। बार्ज नौका पर 8 मिसाइलों के साथ–साथ गोला–बारूद भी लेकर जाया जा सकता है। इससे नौसेना के जरूरी सामान इधर से उधर ले जाने में जो मदद मिलेगी उससे नौसेना की परिचालन गतिविधियों को तेजी प्राप्त होगी। अब समुद्र तट के आसपास एवं बाहरी बंदरगाहों पर भारतीय जहाजों के लिए गोला–बारूद की आपूर्ति सुनिश्चित हो जायगी।

वायुसेना के लिए परिवहन विमान सी–295 का उत्पादन गुजरात के बड़ोदरा स्थित प्लांट में चालू होगा। अमेरिकी कम्पनी जीई एरोस्पेस और हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के बीच जेट इंजन बनाये जाने को लेकर समझौता हुआ, जिससे लड़ाकू विमान इंजन अब भारत में बनेंगे। भारतीय वायु सेना को 87 सुखोई–30 एमकेआई लड़ाकू विमानों को उन्नत बनाने की अनुमति मिल गयी है।

लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर टैंक एवं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की तैनाती कर दी गयी है। सेना की आपूर्ति व्यवस्था में कोई परेशानी न आये, इसके लिए सीमा पर बनायी सड़कों ने स्थिति बेहतर बना दी है। राफेल विमानों की तैनाती लद्दाख सीमा पर की गयी, जिससे चीन की किसी भी हरकत से निबटा जा सके। हल्के तेजस विमान भी मिग–21 विमानों की जगह ले रहे हैं। सुखोई–30 एमकेआईए मिग–29 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और जगुआर जैसे विमान हर मौसम में लड़ाई को तैयार हैं। चीन से लगती सीमा के पास प्रमुख हवाई अड्डों पर हाईटेक मल्टीरोल हेलीकॉप्टर अपाचे एवं चिनूक हर मोर्चे पर खतरे से निबटने को तैनात किये। इस तरह चीन एवं पाकिस्तान से किसी भी स्थिति में निबटने को वायु सेना तैयार है। ❑❑

नेपाल में पुनः हिन्दू राष्ट्र के लिए भारी समर्थन

पिछले कुछ समय से नेपाल का जनमानस गंभीर रूप से उद्वेलित है और वर्तमान कम्युनिस्ट पार्टी (मार्कसिस्ट लेनिनिस्ट) के प्रधानमंत्री श्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली के शासन से पूरी तरह असंतुष्ट है। भारत के लिए यह घटनाक्रम महत्वपूर्व है, क्योंकि नेपाल परंपरागत रूप से भारत का सबसे परम और विश्वसनीय मित्र देश है और दोनों देशों के धर्म, संस्कृति, धार्मिक धरोहर, मान्यताएँ, सामान्य और राज परिवार भारत से सदियों से एकीकृत हैं और उनको कभी अलग करके देखा भी नहीं जा सकता।

भारत और नेपाल की 1751 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा पाँच राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम से जुड़ी है इसलिए नेपाल भरत के रग रग में विद्यमान हैं और नेपाल के लगभग छह लाख नागरिक भारत में बसे हैं और 36000 गोरखा सैनिक और अधिकारी भारतीय सेना में हैं। भारत और नेपाल के बीच रोटी–बेटी का सबंध है जिसके कारण प्रत्येक वर्ष दोनों देशों के बीच हजारों बेटे–बेटियों के विवाह हो रहे हैं जो भगवान राम और माता सीता के त्रेता युग से होता चला आ रहा है। इस पृष्ठभूमि में जो कुछ नेपाल में हो रहा हैं वह भारत में चिंता और संवेदना का विषय है। 2022 की जनगणना के अनुसार, हिमालय की गोद में स्थित नेपाल की जनसंख्या 30.55 मिलियन लगभग 3.5 करोड़ है और यहां की 81.19 प्रतिशत जनता हिन्दू है। विश्व भर में विभिन्न देशों में लगभग 20 लाख नेपाली नागरिक बसे हैं।

वर्ष 2006 में राजशाही की समाप्तिके बाद नेपाल में बारह प्रधानमंत्री बदले हैं। श्री ज्ञानेंद्र शाह वर्ष 2002 में तब राजा बने, जब 2001 में उनके भाई और परिवार के लोगों की महल में हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप राजकुमार दीपेंद्र पर लगा था। जिन्होंने खुद भी आत्महत्या कर ली थी।वर्ष 2006 के जनआंदोलन और माओवादी विद्रोह के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने संवैधानिक राजशाही को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया था और उन्होंने पूर्ण सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया, सरकार और संसद को भंग कर दिया। उन्होंने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी और देश पर शासन करने के लिए सेना का इस्तेमाल किया। इससे नेपाल

नेपाल में बदलते हुए राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में हिन्दू राष्ट्र के प्रति संकल्प स्पष्ट दिखाई दे रहा है जो भारत के लिए भी शुभ संकेत है।

– **विनोद जौहरी**

में वामपंथियों का आंदोलन और भी भड़क गया और लंबी हिंसा के बाद आखिरकार 2008 में नेपाल से राजशाही का खात्मा हो गया।

नेपाल में शासन व्यवस्था में परिवर्तन की मांग में एक बड़ा राजनीतिक दल राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी, ज्ञानेंद्र शाह को समर्थन कर रहा है। अपनी स्थापना के बाद से राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी नेपाल में हिन्दू राष्ट्र और राजशाही का समर्थन करता आ रहा है। राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी नेपाल के लिए हिन्दू राष्ट्र और राजशाही को एक दूसरे का पूरक मानता है। वर्ष 2008 में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने 575 सीटों वाली संसद में से संविधान सभा में 8 सीटें हासिल कीं। 2013 के चुनाव मेंयह 13 सीटें हासिल करने में सफल रही। 2017 में यह एक सीट पर आ गई, लेकिन 2022 के चुनाव में 14 सीटों के साथ वापस आ गई। चीन का प्रभाव भी वर्तमान सरकार में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। उससे लोगों का मोहभंग हो गया है। अब लोग पुराने दिन याद कर रहे हैं। विदेशों में बसे नेपाली नागरिक भी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह की वापसी की मांग में आंदोलित हैं।

नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मुख्य प्रवेश द्वार से ही 10000 उत्साही लोगों की भारी भीड़ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह की प्रतीक्षा कर रही थी और उनकी झलक पाने को आतुर थी। जनता नारेबाजी कर रही थी। भीड़ आवाज लगाती... नारायणहिटी खाली गर, हाम्रो राजा आउंदै छन,' यानी कि नारायणहिती (राजा का महल) खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। भीड़ फिर शोर करती है और नारा लगाती है, "जय पशुपतिनाथ, हाम्रो राजालाई स्वागत छ.' अर्थात जय पशुपतिनाथ, हमारे राजा का स्वागत है। ये भीड़ नेपाल में हिन्दू राष्ट्र की वापसी, राजशाही की वापसी को लेकर नारे लगा रही थी और पूर्व राजा का स्वागत कर रही थी।

नेपाल में शासन व्यवस्था में परिवर्तन की मांग में एक बड़ा राजनीतिक दल राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी, ज्ञानेंद्र शाह को समर्थन कर रहा है। अपनी स्थापना के बाद से राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी नेपाल में हिन्दू राष्ट्र और राजशाही का समर्थन करता आ रहा है।

पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के पर्यटन स्थल पोखरा में 2 महीने के प्रवास के बाद काठमांडू लौटे हैं। नेपाल में अभी ये चर्चा आम है कि ज्ञानेंद्र शाह राजनीति में वापसी कररहे हैं। इसके लिए वे लंबी तैयारी कर रहे हैं। पोखरा प्रवास के दौरान ज्ञानेंद्र शाह दर्जन भर से ज्यादा मंदिरों और तीर्थ स्थलों के दर्शन किए और जनता की संवेदना समझने का प्रयास किया।

कुछ समय पूर्व नेपाल के 20 हिन्दू संगठनों ने पश्चिमांचल में तनहुँ जिले के देवघट में एक संयुक्त फ्रंट गठित किया है जो सड़कों पर उतर कर हिन्दू राष्ट्र की वापसी के लिए आंदोलन कर रहा है। नेपाल में विभिन्न मठों और धार्मिक पीठों का समर्थन भी हिन्दू राष्ट्र के लिए हैं जहां हिन्दू शिक्षा और संस्कृति का पठन पाठन किया जाता है।

पिछले दिनों नेपाल की काठमांडू घाटी में बागमाती प्रदेश के ललितपुर में हिन्दू राष्ट्र के समर्थन में विभिन्न हिन्दू संगठनों, मठाधीशों, शंकरचार्य मठ के केशवानन्द स्वामी, शांति धाम के पीठाधीश, स्वामी चतुर्भुज आचार्य, हनुमान जी महाराज, हिन्दू स्वयंसेवक संघ के संयोजक, नेपाल पुलिस के पूर्व सहायक इंस्पेक्टर जनरल कल्याण कुमार तिमिलसिना, विश्व हिन्दू महासंघ, विश्व हिन्दू परिषद, सनातन धर्म सेवा, ओंकार समाज, नेपाल राष्ट्रवाद समाज और इसके अलावा एक दर्जन अन्य हिन्दू संगठन नेपाल में हिन्दू राष्ट्र की वापसी के लिए संघर्षरत हैं। नेपाल के रक्षा सूत्रों के अनुसार नेपाल में 100 से अधिक हिन्दू संगठन सक्रिय हैं।

नेपाली काँग्रेस के भीतर भी एक प्रभावशाली वर्ग हिन्दू राष्ट्र के लिए समर्थन में है। वर्ष 2018 में नेपाली काँग्रेस के श्री शंकर भण्डारी ने हिन्दू राष्ट्र के लिए एक अभियान चलाया था। पार्टी की महासमिति के 1400 सदस्यों में से 734 सदस्यों ने हिन्दू राष्ट्र के लिए समर्थन किया था। पार्टी के प्रभावशाली नेताओं डॉ. शशांक कोइराला, श्री शेखर कोइराला, श्री राम चन्द्र पौडेल भी हिन्दू राष्ट्र के समर्थन में हैं।

नेपाल में बदलते हुए राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में हिन्दू राष्ट्र के प्रति संकल्प स्पष्ट दिखाई दे रहा है जो भारत के लिए भी शुभ संकेत है।

सब्सिडी कवच लैस अमेरिकी उत्पादों से व्यापार युद्ध

जब हाल ही में मैंने पढ़ा कि अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक हैड ने विशेष तौर पर भारत से कहा है कि वह अपना बाज़ार अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खोले, तो इस पर, मुझे विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री निकोलस स्टर्न के बोल याद आ गए, जो उन्होंने उस समय देश में अपनी यात्रा के दौरान कहे थे, संक्षेप में कुछ यह था 'मैं सहमत हूं कि अमेरिकी किसानों को जिस मात्रा की सब्सिडी मिलती है, वह एक प्रकार से पाप है, लेकिन यदि भारत अपना बाजार नहीं खोलता, तो यह आपदा का नुस्खा होगा।'

एन्न वेनमैन (जिनका कार्यकाल जॉर्ज बुश जूनियर के समय 2001–2005 तक था) से शुरू होकर कुछ इसी किस्म का दोगलापन अमेरिका के एक के बाद एक आए कृषि मंत्री समय–समय पर दिखाते रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि किस प्रकार उन्होंने वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) में अपने संबोधन में बेशर्मी से विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री की उस मूर्खतापूर्ण दलील (जो कि हास्यास्पद भी थी) का समर्थन किया, जिसमें भारत में कृषि मंडी को जबरदस्ती खोलने की बात कही गई थी। दरअसल, एक समय ऐसा भी आया जब अमेरिका के कम–से–कम 14 कृषि फसल निर्यात समूहों ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) को पत्र लिखकर भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के नाम पर फसल–विशेष को दिए जाने वाले मूल्य संरक्षण की ऊपरी सीमा तय करवाने की मांग की ताकि अमेरिकी निर्यात की भारत में राह खुल सके।

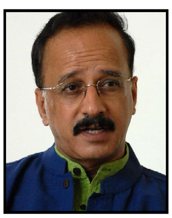

भारत को अपना घर व्यवस्थित करने के लिए कहने की बजाय अमेरिका से अपना कृषि बाजार खोलने के लिए कहने की ज़रूरत है। यह तभी हो सकता है जब अमेरिका से कहा जाए कि पहले वह अपनी कृषि के इर्द–गिर्द बनाया अत्यधिक सब्सिडी वाला दुर्ग ढहाए।

– **देविन्दर शर्मा**

इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए अवांछित व्यापार युद्ध से मैं हैरान नहीं हूं। यह एकदम जाहिर है कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में लंबे समय तक चली बहुपक्षीय वार्ताओं से जो कुछ अमेरिका हासिल नहीं कर पाया, उसकी प्राप्ति के वास्ते अब ट्रंप की अरबपति मित्र मंडली विकासशील देशों को घुटनों पर लाने की गलत सलाह दे रही है। लेकिन कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अब अवज्ञा में खड़ी होने लगी हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि भारत ऐसा कुछ दिखाए कि यदि उसे कुछ झुकने के लिए कहा जाए, तो ऐसा आभास दे कि वह रेंगने तक को राजी है।

यहां मैं एक और कहानी सुनाना चाहूंगा। कुछ साल पहले, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने टिप्पणी की थी कि चीन के 'खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड' के कारण अमेरिका उसके साथ व्यापार नहीं करेगा। अगले दिन मैंने संयोग से बीबीसी टीवी चैनल चालू किया, जहां एक पत्रकार तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति से पूछ रहा था : 'अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा व्यापार रोकने वाली धमकी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है।' उनका जवाब भी उतना ही रूखा था : 'अमेरिका के साथ व्यापार? जब हमने 4,000 साल से ज़्यादा अमेरिका के साथ व्यापार किया ही नहीं, तो इससे अब क्या फ़र्क पड़ने वाला है?' इस बयान के अगले दिन ही अमेरिकी व्यापार और उद्योग जगत अपने राष्ट्रपति द्वारा चीन के साथ व्यापार बंद करने के आह्वान के विरुद्ध लामबंद हो गया। आखिरकार बिल क्लिंटन को घरेलू उद्योग लॉबी के सामने झुकना पड़ा और उन्होंने फिर कभी इस मुद्दे को नहीं छेड़ा। नए टैरिफ युद्ध वाले मुद्दे पर फिर से लौटते हैं, भारत में अमेरिकी कृषि उत्पादों के प्रवेश पर नियंत्रण व्यवस्था होने की वजह से ट्रम्प हमारी आलोचना वैश्विक 'टैरिफ किंग' का ठप्पा लगाकर कर सकते हैं (अमेरिका

के 5 प्रतिशत आयात शुल्क के मुकाबले भारत का औसतन आयात शुल्क लगभग 39 प्रतिशत है), लेकिन वास्तविकता यह है जो शुल्क भारत ने लगा रखा है, वह विश्व व्यापार संगठन के उस प्रावधान के अनुरूप है जिसमें टैरिफ दर किसी देश के विकास की श्रेणी और व्यापार संहिता में वर्णित 'विशेष एवं विभेदक व्यवहार' नामक आकलन के आधार पर है, सनद रहे कि भारत किसी भी अवस्था में विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर रहा। भारत के अपेक्षाकृत उच्च शुल्क उक्त संगठन के नियमन में अंतर्निहित व्यापारिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, न कि किसी की व्यक्तिगत सनक अथवा कल्पना से चालित।

दूसरी ओर, वास्तव में समस्या अमेरिका द्वारा कृषि के लिए दी जाने वाली भारी सब्सिडी है। इतनी ज्यादा कि 21 जुलाई, 2006 की फाइनेंशियल टाइम्स में लिखते हुए, यूरोपीय संघ के तत्कालीन व्यापार आयुक्त पीटर मैंडेलसन ने स्पष्ट रूप से कहा कि विकासशील देशों का कहना है कि वे अमेरिका के कृषि उत्पाद अधिक आयात करने को तो राजी हैं, लेकिन अमेरिकी कृषि सब्सिडी नहीं। इस बाबत उन्होंने भारत के तत्कालीन वाणिज्य मंत्री कमल नाथ को उद्धृत किया था : 'हमें अमेरिकी किसानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कोई एतराज नहीं, लेकिन अमेरिकी खजाने का मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे।' सालों–साल अमेरिका ने अपनी कृषि के इर्द–गिर्द बनाए गए भारी सब्सिडी रूपी सुरक्षा दुर्ग को और मजबूत ही किया है। अमेरिकी कृषि विभाग की आर्थिक अनुसंधान सेवा के अनुसार, किसानों और पशुपालकों को प्रत्यक्ष सरकारी कृषि कार्यक्रम के तहत दी जानी वाली सीधी वित्तीय सहायता 2025 में 42.4 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि 2024 के लिए पूर्वानुमान 9.3 बिलियन

डॉलर का था। प्रति किसान गणना के आधार पर, अमेरिका अपने हरेक किसान की 26.8 लाख रुपये सालाना जितनी वित्तीय मदद करता है।

उदाहरणार्थ, विशेष तौर कपास का मुद्दा, जो कि विश्व व्यापार संगठन वार्ताओं में विवाद का एक मुद्दा बना हुआ है। 2021 में अमेरिका में कपास बिजाई के तहत औसत क्षेत्र 624.7 हेक्टेयर था, और इसको उगाने वाले किसान महज 8,103 थे जिन्हें अमेरिका ने अत्यंत भारी–भरकम सब्सिडी दी (जबकि भारत में कपास की खेती में 98.01 लाख किसान लगे थे)। नई दिल्ली स्थित विश्व व्यापार संगठन के अध्ययन केंद्र द्वारा की गई गणना बताती है कि 2021 में अमेरिकी कपास कृषक को 117,494 डॉलर सालाना वित्तीय सहायता मिली, वहीं इसकी तुलना में, भारत में कपास उगाने वाले किसान को महज 27 डॉलर की मदद मिल पाई।

आइए इस पर नज़र डालें कि एग्रीगेट मेज़र ऑफ सपोर्ट (एएमएस) फार्मूला के साथ अमेरिका और यूरोपियन संघ फसल–विशेष की मदद कैसे करते हैं। व्यापार समझौता वार्ताओं के दौरान, अमीर एवं विकसित देश बहुत चतुराई के साथ यह सुनिश्चित करने में कामयाब रहे कि विकासशील देशों के लिए रखी गई 10 प्रतिशत गैर–न्यूनतम सीमा के बनिस्बत अमीर देश अपने लिए उच्च व्यावसायिक मूल्य वाली मुट्ठी भर फसलों के लिए ऊपरी सीमा (5 प्रतिशत अधिकतम) मद वितरित करने में सफल रहे। उदाहरण के लिए कपास का मामला लें। जहां यूरोपीय संघ ने 2006 में कपास के लिए 139 प्रतिशत सब्सिडी सहायता प्रदान की थी, वहीं इससे पांच साल पहले यानी 2001 में, अमेरिका ने विकसित देशों के लिए रखी सीमा के अलावा अतिरिक्त 74 प्रतिशत सहायता अपने कपास किसानों को दी थी।

कृषि आयातों पर कम टैरिफ केवल एक दिखावाभर है कि अमेरिकी कृषि एक खुला बाजार है। लेकिन बारीकी से देखने से पता चलता है कि अमेरिका ने आयात पर नकेल कसने के लिए 9,000 से अधिक गैर–टैरिफ बाधाएं (भारत द्वारा 600 के मुकाबले) खड़ी कर रखी हैं। जब ट्रम्प कहते हैं कि अमेरिका भी दूसरे देश की शुल्क दर के बराबर टैरिफ लगाने जा रहा है, तो भारत के पास भी अपनी खेती की रक्षा के लिए गैर–टैरिफ नाकेबंदी जैसे उपाय करने के वास्ते पर्याप्त गुंजाइश उपलब्ध है।

भारत को अपना घर व्यवस्थित करने के लिए कहने की बजाय अमेरिका से अपना कृषि बाजार खोलने के लिए कहने की ज़रूरत है। यह तभी हो सकता है जब अमेरिका से कहा जाए कि पहले वह अपनी कृषि के इर्द–गिर्द बनाया अत्यधिक सब्सिडी वाला दुर्ग ढहाए।❑❑

लेखक कृषि एवं खाद्य मामलों के विशेषज्ञ हैं।
https://www.dainiktribuneonline.com/news/comment/trade-war-against-us-products-equipped-with-subsidy-shield/

प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना

गरीबी मुक्त भारत-गरीब मुक्त गांव

केंद्र की सरकार ने अंग्रेजी के ज्ञान शब्द को ध्यान में रखकर गरीब, युवा, अन्नदाता किसान, नारी सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव का जो खाका खींचा है, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना से की जा रही है। इस योजना की प्रेरणा आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से ली गई है। इसके तहत वर्तमान में चल रही कृषि योजनाओं एवं उपाय के माध्यम से कम उत्पादकता वाले कम बुवाई और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों पर फोकस करने की योजना है।

भारत की कृषि क्रांति के संदर्भ में प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अच्छी कृषि पद्धतियों सिंचाई और फसलों के वृद्धि कारण को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादन को बढ़ाएगी छोटे किसानों को लक्ष्य करके यह योजना किसानों की आय को स्थिर करेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी।

–शिवनंदन लाल

बीते दिनों केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने इस योजना का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी मुक्त भारत के लिए गरीबी मुक्त गांव का संकल्प है। अपेक्षाकृत पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र का समय समग्र विकास कर अन्य जिलों के लोगों के बराबर खड़ा करना है। इस योजना की मदद से परंपरागत कृषि पद्धतियों फसल विविधता एवं खेती के तौर तरीकों को उन्नत का उत्पादन बढ़ाया जाएगा।

मालूम हो कि गांव में सबसे बड़ी समस्या अन्य भंडारण की होती है, इसके लिए पंचायत स्तर पर भंडारण की व्यवस्था की योजना है। सिंचाई की सुविधाओं में सुधार किया जाएगा और छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी सरकार का दावा है कि इस कार्यक्रम से लगभग 1.7 करोड़ किसानों को सीधे तौर पर सहायता पहुंचेगी।

धन धन योजना की सफलता के लिए राज्यों की भागीदारी से व्यापक बहुत क्षेत्रीय ग्रामीण समृद्धि एवं अनुकूलन कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा इससे किसानों एवं कृषि श्रमिकों का कौशल विकास होगा खेती में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा साथ ही नई तकनीक के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में काम रोजगार की समस्या का भी समाधान होगा।

केंद्रीय बजट 2025 26 में लॉन्च हुए पीएम धन–धान्य कृषि योजना का प्राथमिक उद्देश्य कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना और देश में किसानों की आजीविका को बढ़ाना है इस योजना के जरिए कृषि और संरचना और जलवायु लचीले और टिकाऊ कृषि के विकास पर जोर दिया गया यह योजना किसानों को वित्तीय सुरक्षा और आधुनिक समाधान प्रदान करेगी

इस योजना से विशेष रूप से कम उत्पादकता वाले जिलों को सीधे लाभ पहुंचेगा इसका लक्ष्य विकास की स्थिरता को सुनिश्चित करना है।

इस योजना के तहत ब्लाक और पंचायत स्तर पर फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में सुधार करना भी है जिससे की फसल की बर्बादी रुकेगी और किसानों को बेहतर कीमत मिल पाएगी प्रौद्योगिकी और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस योजना में कीमती खेती बेहतर सिंचाई पद्धतियां और जलवायु अनुकूल वातावरण को भारतीय कृषि की मुख्य धारा में लाना शामिल है।

मोटे तौर पर पीएम धन–धान्य कृषि योजना के मुख्य उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों का कार्यान्वयन, सीमांत एवं लघु किसानों को वित्तीय सहायता, लाभकारी एवं टिकाऊ कृषि पद्धति सुनिश्चित करना, फसलों के वृद्धि कारण के साथ–साथ जलवायु पाटन में परिवर्तन के आधार पर टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, बर्बादी को रोकना तथा ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भंडारण, गोदाम और रसद सुविधाओं में सुधार करना, फसल की उत्पादकता और उपज स्थिरता में सुधार के लिए सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करना है।

यह योजना विशेष रूप से उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई है जिनकी ऋण और उन्नत कृषि तकनीक तक पहुंच बिल्कुल सीमित है उम्मीद की गई है कि कम कृषि उत्पादकता और मध्यम फसल से घाटा वाले 100 जिले के लगभग 1.7 करोड़ किसानों को इसका शुद्ध लाभ पहुंचेगा इसके लिए उनके बीच परिषद खेती और जलवायु आधारित कृषि पद्धतियों जैसी उन्नत कृषि तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। बुनियादी ढांचे में सुधार से अनाजों की बर्बादी तो रुकेगी ही अधिक स्थिर उपज के भी अवसर बनेंगे।

इस योजना के लिए केंद्रीय बजट में पिछले बजट की तुलना में चार प्रतिशत बढ़ोतरी करते हुए चालू वर्ष के लिए 1.37 लाख करोड रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम धन–धान्य कृषि योजना कुल कृषि बजट का एक हिस्सा है जिसका उपयोग उत्पादकता बढ़ाने से लेकर किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न घटकों को लागू करने के लिए किया जाएगा।

पीएम धन धान्य कृषि योजना का सीधा लाभ मुख्य रूप से छोटे एवं सीमांत किसान, कृषि सहकारी समितियां और एफपीओ, कृषि तकनीक स्टार्टअप, महिला किसान और स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण समुदाय को प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त होगा।

पीएम धन–धान्य कृषि योजना के तहत किसानों को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि उत्पादन बढ़ सके इसके साथ ही किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए मुफ्त उर्वरक दिए जाएंगे छोटे और सीमांत किसानों को कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर पंप और अन्य चीजों कोलेकर सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। खेती के बारे में नई तकनीक जानकारी और कृषि उपकरणों का इस्तेमाल करने के बारे में ट्रेनिंग भी दी जाएगी इसके अलावा समय–समय पर किसानों को जरूरी वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए पहचान प्रमाण के लिए आधार कार्डभूमि स्वामित्व दस्तावेज के लिए खेती की जमीन का प्रमाण, लाभ सीधे बैंक खाते में जमा करने के लिए बैंक खाता की जानकारी, आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए आय प्रमाण पत्र के साथ–साथ राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

पात्र पाए गए किसानों को योजना के तहत लाभ मिलेगा। जहां तक योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया की बात है तो

पीएम धन-धान्य कृषि योजना कुल कृषि बजट का एक हिस्सा है जिसका उपयोग उत्पादकता बढ़ाने से लेकर किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न घटकों को लागू करने के लिए किया जाएगा।

जिन किसान भाइयों को इस योजना के तहत सहायता चाहिए वह अपने जिले के कृषि कार्यालय में संपर्क करें, आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर आवेदन पत्र भर दें। आवेदन पत्र भरे जाने के बाद स्थानीय अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जांच के बाद पात्र पाए गए किसानों को योजना के तहत लाभ की मंजूरी प्रदान की जाएगी तथा लाभ का सीधा हस्तानांतरण उनके बैंक खाते में कर दिया जाएगा।

कुल मिलाकर भारत की कृषि क्रांति के संदर्भ में प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अच्छी कृषि पद्धतियों सिंचाई और फसलों के वृद्धि कारकों बढ़ावा देकर कृषि उत्पादन को बढ़ाएगी। छोटे किसानों को लक्ष्य करके यह योजना किसानों की आय को स्थिर करेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ग्रामीण आबादी को संपन्नता की ओर ले जाने और उनके कार्यकलाप को सहज सुलभ बनाने में राज्यों की भी सहभागिता होगी। हम कह सकते हैं कि राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार देश के पिछड़े गांव के विकास की कहानी इस योजना के जरिए लिखेंगी। ❑❑

भारत एक महान राष्ट्र

आजकल यह भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत एक राष्ट्र है या नहीं। कुछ विचारक यह कहते हैं कि भारत राज्यों का संगठन है, एक राष्ट्र नहीं है। यह विवाद वर्तमान में चर्चा का विषय है। भारत में इस विवाद को एक राष्ट्रीय दल के पूर्व अध्यक्ष ने संसद में यह कहकर उठाया कि भारत एक राष्ट्र नहीं, बल्कि राज्यों का संघ है। संवैधानिक ढंग से यह सही है, भारत राज्यों का संघ है। लेकिन राष्ट्रीयता की दृष्टि से हम एक राष्ट्र हैं।

भारत में विभाजनकारी ताकतों तथा साम्राज्यवादियों द्वारा कहा जाता रहा है कि **भारत एक राष्ट्र नहीं, भारत एक उपमहाद्वीप है।** विश्व में दूसरा कोई उपमहाद्वीप नहीं है। केवल भारत को ही उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता रहा है? इसका कारण है भारत की महानता एवं एकात्मकता को अस्वीकार कर विभाजनकारी ताकतों को श्रेय देना। भारत का सम्पूर्ण वाङमय भरा पड़ा है जो भारत खण्ड का आर्यावर्त का वर्णन करता है। लेकिन भारत की पुस्तकों में लिखा रहता है, भारतवर्ष एक उपमहाद्वीप है। दुनिया में कितने उपमहाद्वीप हैं? केवल एक ही है, और वह है भारत। यह हमें किसने पढ़ाया? क्यों पढ़ाया? हमें सिखाया गया कि भारत एक देश नहीं है, एक राष्ट्र नहीं है, भारतवर्ष का समाज एक समाज नहीं है। भारत की कोई एक राष्ट्रीयता नहीं। **जबकि भारत एक एकात्म राष्ट्र है। यहां पर हम सब लोग एक जन हैं, भारत माता की समस्त संतानें एक जन हैं। भारतवर्ष की अपनी एक महान संस्कृति है और इस महान संस्कृति के हम धारक/वाहक हैं।**

भारत में आजादी के आंदोलन के समय से एक बहस चल रही है **क्या भारत एक राष्ट्र है?** भारत में एक विचारधारा यह मानती है कि **हम राष्ट्र थे ही नहीं, राष्ट्र बनने जा रहे हैं।** दूसरी विचारधारा यह मानती है कि **भारत एक प्राचीन एवं महान राष्ट्र है।** भारत राष्ट्र

भारत निश्चिय ही वह देश है, जो देश धरती को खण्ड–खण्ड में बांटता नहीं, विश्व को बाजार नहीं बल्कि परिवार मानता है।

–प्रो. विजय वशिष्ठ

का वर्णन वेदों में है। वेद कहते हैं राष्ट्र वह है जिसमें एक विशिष्ट विचारधारा को मानने वाला वर्धिष्णु समाज रहता है। उस देश की धरती से इस समाज के व्यक्तियों का सम्बन्ध **माता–पुत्र का** है। **'माता भूमि पुत्रोश्हं पृथिव्याः'।**

आज राष्ट्र के सम्बन्ध में विश्व में व्याप्त पारिभाषिक अराजकता मानव अशांति का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए यह आवश्यक है कि विश्व के स्तर पर 'राष्ट्र' शब्द को ठीक से परिभाषित किया जाये। राष्ट्रवाद वास्तव में सांस्कृतिक अथवा भू–सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होता है। हम भारतीय राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और कहते है किः– श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंध के उन्नीसवें अध्याय में भारतवर्ष की महिमा का वर्णन किया गया है।

भारत की प्रशंसा में गीत गाते हुए देवगण भी कहते हैं कि वे धन्य हैं, जिनका जन्म भारत में हुआ क्योंकि यहां के निवासी उत्तम सक्षम कर्म करते हुए मोक्ष की उपलब्धि कर सकते हैं, अतः वे देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं।

श्रीनारायण कहते हैं – हे नारद – इस प्रकार स्वर्ग को प्राप्त देवता सिद्ध और महर्षिगण **भारतवर्ष की उत्तम महिमा का गान करते हैं।**

आजादी का आंदोलन भी भारतीय राष्ट्रवाद ने ही चलाया। आज हम राष्ट्र भक्ति के प्रसंग में बोलते हैं – **भारत माता की जय, हम बोलते हैं वंदेमातरम्।**

समुद्र के उत्तर में एवं हिमालय के दक्षिण में जो भू भाग स्थित है, वह भारत है, जो भारती लोग हैं वो यहां की सन्तति हैं। इसी का आधुनिक संस्करण है – भारत माता की जय। इसी का परिणाम है – वंदेमातरम्।

महर्षि अरविन्द ने उत्तर पाड़ा में अपने विख्यात भाषण में कहा था **''हमारा सनातन धर्म ही हमारे लिए राष्ट्रीयता है।** जब सनातन धर्म की हानि होती है तब राष्ट्र की अवनति होती है और यदि सनातन धर्म का विनाश सम्भव होता तो सनातन धर्म के साथ ही राष्ट्र का भी विनाश हो गया होता। **कांग्रेस ने भी यह कभी नहीं कहा** कि 15 अगस्त 1947 को भारत एक नया राष्ट्र बन गया।

महर्षि अरविन्द ने उत्तर पाड़ा में अपने विख्यात भाषण में कहा था ''हमारा सनातन धर्म ही हमारे लिए राष्ट्रीयता है। जब सनातन धर्म की हानि होती है तब राष्ट्र की अवनति होती है और यदि सनातन धर्म का विनाश सम्भव होता तो सनातन धर्म के साथ ही राष्ट्र का भी विनाश हो गया होता। कांग्रेस ने भी यह कभी नहीं कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत एक नया राष्ट्र बन गया।

महात्मा गांधी ने भारतीय स्वराज्य को संज्ञा दी **थी–राम–राज्य की।** पं. जवाहरलाल नेहरू ने स्वाधीनता के बाद 24 जनवरी 1948 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कहा था **''हमें अपनी उस विरासत और अपने पूर्वजों पर गर्व है जिन्होंने भारत को बौद्धिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता प्रदान की। उनकी स्पष्ट अपेक्षा थी कि उन सब विद्यार्थियों को भी प्राचीन भारत की उपलब्धियों पर गौरव का अनुभव हो।** भारत में राजनीति की भूमिका को महत्वपूर्ण तो माना गया लेकिन उसे सर्वोपरि कभी नहीं माना गया। **सर्वोपरि स्थान धर्म को ही दिया गया**, क्योंकि वही अर्थ, और काम की सम्यक् सिद्धि के द्वारा अभ्युदय का और वैराग्य से पुष्ट होकर मोक्ष का साधन बनता है। **धर्मनिष्ठ राजनीति का ही हमारे देश में सम्मान था।** भारतीय चैतन्य ने आदर्श शासक के रूप में राम को ही स्वीकार किया। राजनीति वस्तुः कल्याणकारी तभी होती है, जब वह सच्चे राजधर्म पर आधारित होती है। जिसका एक प्रधान लक्षण यह है कि राज्य बिना किसी भेदभाव के सारी प्रजा का समान भाव से पालन करे, जिस प्रकर पृथ्वी सब प्राणियों को समान भाव से धारण करती है। **भारतीय धर्म व राज्य को मजहबी राज्य या थिमोक्रेटिक** स्टेट नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें जाति, भाषा, उपासना, पद्धति आदि के आधार पर जनता में भेदभाव नहीं किया जाता। इसी सांस्क तिक चेतना के कारण भारतवर्ष कभी दूसरे देशों पर आधिपत्य जमाने की लालसा से ग्रस्त नहीं हुआ। क्योंकि हमारी राष्ट्रीयता की परिणति – **''यत्र विश्वं भवतयेकनीडम'' ''वसुधैव कुटुम्बकम स्व देशोभुवनत्रयम्''** के अनुरूप वैश्विकता में होती रही है।

प्राचीन भारत राजनीतिक दृष्टि से विभिन्न राज्यों में विभक्त होते हुए भी **सांस्कृतिक दृष्टि से पूरा भारतवर्ष एक देश माना जाता रहा।** इतिहास में उल्लेख है कि मनु, रघु, श्रीराम, युधिष्ठर, अशोक, विक्रमादित्य आदि ऐसे चक्रवर्ती राजा थे, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष पर शासन किया।

इसी तरह सात मोक्ष दायिका पुरियां, द्वादश **ज्योतिर्लिंग, बावन शक्तिपीठ, चारधाम, चार महाकुम्भ क्षेत्र, रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत** जैसे ग्रंथ हमारे देश की एकता एवं राष्ट्रीयता के महत्वपूर्ण संघटक हैं। यदि हमारे देश की एकता का मुख्य आधार हमारी संस्कृति है, तो

हमारे देश के राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहना चाहिए।

हमें यह ध्यान रखना चाहिए हमारे देश में अनेक प्रकार की विविधतायें होते हुए भी हमारा देश एकतात्मकता के सूत्र में बंधा रहा। भारत में तुर्क, पठान, मुगल, अंग्रेज आये और केन्द्रीय राज्य सत्ता छिन गयी, तब भी हमारी संस्कृति ने ही सम्पूर्ण देश को एकता के धागे में पिरोये रखा। राजनैतिक पराजय के बावजूद हमारी संस्कृति ने अन्याय का प्रतिरोध करने की प्रेरणा दी। मध्यकाल में दक्षिण भारत में भक्ति साधना का नवोन्मेष हुआ जिसे उत्तर भारत में प्रवाहित करने का महत्वपूर्ण कार्य जगद्गुरू रामानंदाचार्य ने किया। भक्ति सिद्धान्त के अनुसार उन्होंने घोषणा की ––**जाति–पांति पूछे नहि कोई, हरि को भजे सो हरि का ही होई।**

उत्तर भारत में तुलसीदास, कबीरदास, रविदास, गुरूनानक, मीरा बाई आदि ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ज्योति को जलाये रखा। गुरूनानक देव ने निर्गुण भक्ति पर बल दिया।

इसके साथ–साथ सद्भावनापूर्वक सेतु बनाने का कार्य भी चलता रहा। कबीरदास ने हिन्दू और मुसलमान दोनों को फटकारते हुए पूछा –

''दुई जगदीस कहां ते आये – कहु कौन भरमाया।''

मलिक मुहम्मद जायसी ने रामचरितमानस की रचना से 34 वर्ष पूर्व अपने **पद्मावत में राम नाम का सौ से ज्यादा बार उल्लेख किया।** औरंगजेब की मजहबी कट्टरता ने इस धारा को अवरूद्ध करना चाहा लेकिन सफल नहीं हो पाया। यह **उदार समन्वयी धारा निश्चय ही भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की गौरव पूर्ण उपलब्धि है।** आजादी के आंदोलन में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा निरन्तर प्रवाहित होती रही। राजाराम मोहनराय, रामक भण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, श्री अरविन्द स्वामीरामतीर्थ आदि महापुरूषों ने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को गति दी।

आज हमारे देश में राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम की आवश्यकता है। हमारा देश विविधता में एकता का साक्षात स्वरूप है। हमें इस पर गौरव होना चाहिए – हम भारत राष्ट्र के नागरिक हैं। **यह देश देव निर्मित देश है। यह केवल भू–भाग मात्र नहीं है।**

भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष स्व. श्री दीनदयाल जी ने कहा था **'भक्ति चेतना के बाद परिवार–चेतना आ जाती है। परिवार के अंदर एक भाव है कि हम एक हैं। यही भाव यदि राष्ट्र के साथ हो तो – उस राष्ट्र के अंदर यह भाव हो जाता है कि हम सब एक राष्ट्र है। यदि राष्ट्र के अन्दर रहने वाले लोग हम हैं – तो यह चेतना आती है कि हम सब एक हैं – यह राष्ट्र हमारा है। इसकी रक्षा हमारा कर्तव्य है। यह भाव ही राष्ट्र की आत्मा है।**

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति – **अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था – किसी देश को महान बनाते हैं, उस देश में रहने वाले लोग, और यही लोग आगे चलकर इस महान देश के महान नागरिक बन जाते हैं।** अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाये रखने की शक्ति एवं आजादी की रक्षा तभी होगी जब हम सब मिलकर इस राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हों।

भारत निश्चिय ही वह देश है, जो देश धरती को खण्ड–खण्ड में बांटता नहीं, विश्व को बाजार नहीं बल्कि परिवार मानता है।

इसकी एकता एवं अखण्डता को बनाये रखना हमारा दायित्व है।

जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे
मात भूमि से यह वर।
तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार
रहे न रहें।
देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो
कुछ देना सीखें,
हम भी तो कुछ देना सीखें।।

भारत माता की जय – वंदे मातरम्

❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

स्वास्थ्य की रक्षा और भारत की आत्मनिर्भरता

भारत के बारे में एक आम धारणा यह है कि भारत भयंकर भूख से पीड़ित देश है। अगर हम वेल्टहंगरहिल्फ़ की रिपोर्ट पर यकीन करें तो आज भी भारत 127 देशों की सूची में भूख के मामले में 105वें स्थान पर है। लेकिन सच यह है कि आज भारत में बड़ी संख्या में लोग वज़न कम होने से कम, बल्कि मोटापे की समस्या से ज़्यादा पीड़ित हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से खाद्य तेलों का इस्तेमाल कम से कम 10 प्रतिशत कम करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि साल 2050 तक भारत में 44 करोड़ लोग मोटापे की समस्या से पीड़ित होंगे, जो कई बीमारियों की जड़ है।

गौरतलब है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि टाइप–2 डायबिटीज़, हृदय रोग, कैंसर और स्ट्रोक समेत कई बीमारियाँ मुख्य रूप से मोटापे की वजह से होती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015–16 और 2020–21 के अनुसार, इन 5 वर्षों में मोटापे से पीड़ित महिलाओं की संख्या 20.6 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत हो गई, जबकि पुरुषों में यह 18.9 प्रतिशत से बढ़कर 22.9 प्रतिशत हो गई। यानी हमारी लगभग एक–चौथाई आबादी मोटापे से पीड़ित है। मोटापे की समस्या आम तौर पर जीवनशैली से जुड़ी होती है। इसके कई कारण हैं, जिनमें शारीरिक श्रम की कमी, वसा (खाद्य तेल), चीनी और नमक का अधिक सेवन शामिल है। अगर हम खाद्य तेलों के उपयोग की बात करें तो हम देखते हैं कि खाद्य तेलों की प्रति व्यक्ति खपत, जो 1950 से 1960 के दशक में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष केवल 2.9 किलोग्राम थी, अब उद्योग रिपोर्ट के अनुसार बढ़कर 19.4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति वार्षिक हो गई है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 13 किलोग्राम की अनुशंसित खपत और आईसीएमआर (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद) की सिफारिश, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 12 किलोग्राम से कहीं अधिक है। गौरतलब है कि जनसंख्या 1951 में 35.4 करोड़ से बढ़कर 2023 तक 143.8 करोड़ हो गई और इस अवधि के दौरान खाद्य तेलों की घरेलू उपलब्धता 13.8 लाख टन से बढ़कर 114 लाख मीट्रिक टन हो गई। लेकिन इसी अवधि के दौरान, 1951 में खाद्य तेलों के नगण्य आयात की तुलना में, 2022–23 तक यह 164.7 लाख टन तक पहुंच गया। घरेलू उत्पादन में आयात को जोड़कर, खाद्य तेलों की कुल उपलब्धता 2022–23 तक 278.7 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई। यह ध्यान देने योग्य है कि यदि खाद्य तेलों की खपत आईसीएमआर द्वारा अनुशंसित सीमा के भीतर हो तो भले ही घरेलू उत्पादन मौजूदा स्तर पर बना रहे, भारत को खाद्य तेलों के आयात की आवश्यकता केवल 56.64 लाख मीट्रिक टन होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह का व्यापक प्रचार–प्रसार करने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था की सेहत दोनों में सुधार हो सके।

–स्वदेशी संवाद

खाद्य तेल मिशन

देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने तथा आयात पर बोझ कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2024 में खाद्य तेल मिशन शुरू किया गया, जिसके अनुसार 10103 रुपए का व्यय किया जाएगा तथा प्राथमिक तिलहनों का उत्पादन वर्ष 2022–23 में 390 लाख टन से बढ़ाकर अगले 7 वर्षों में 697 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है। कहा जा सकता है कि इससे आयात पर निर्भरता कम होगी। और यदि प्रधानमंत्री की अपील भी कारगर रही तो आयात और भी कम हो जाएगा।

घटिया तेलों की खपत भी कम होगी

वर्तमान में भारत में उत्पादित खाद्य तेलों का 67.4 प्रतिशत विभिन्न प्राथमिक तिलहनों से, 5.1 प्रतिशत नारियल से, 2.2 प्रतिशत ताड़ से, 11.0 प्रतिशत कपास के बीजों से, 9.8 प्रतिशत चावल की भूसी से, 3.1 प्रतिशत तिलहनों के सॉल्वेंट निष्कर्षण से तथा 1.4 प्रतिशत वनों एवं वृक्षों से प्राप्त होता है। देश में विभिन्न प्रकार के तिलहनों का उत्पादन पारंपरिक तरीके से किया जाता है। भारत के पारंपरिक खाद्य तेल काफी हद तक स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं। लेकिन विदेशों पर हमारी निर्भरता के कारण देश में बड़ी मात्रा में ऐसे तेल आयात और उपयोग होने लगे, जिन्हें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। यह भी माना जाता है कि जीएम खाद्य तेलों का भी अवैध रूप से बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है। आज जब भारत में खाद्य तेलों की कुल खपत का 57 फीसदी आयात से पूरा होता है, जिसमें से 59 फीसदी पाम ऑयल से आता है। इसके अलावा सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल, पाम ऑयल का भी आयात किया जाता है। भारत के अपने उत्पादित तेलों में सरसों तेल की हिस्सेदारी 33 फीसदी, मूंगफली तेल की 25.4 फीसदी और सोयाबीन की 19 फीसदी है। सरसों तेल का भारतीय खानपान में काफी महत्व है और यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी है।

लेकिन खाद्य तेलों के अपर्याप्त उत्पादन और प्रति व्यक्ति खपत में लगातार वृद्धि तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाम ऑयल जैसे तेल भी बड़ी मात्रा में भारत में प्रवेश कर चुके हैं।

पाम ऑयल के हानिकारक प्रभाव

भारत में बड़ी मात्रा में आयात किया जाने वाला पाम ऑयल, जो अब हमारी खाद्य श्रृंखला का एक प्रमुख हिस्सा बन चुका है, वास्तव में स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। इसमें संतृप्त वसा की उच्च मात्रा के कारण हानिकारक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना है, जिससे हृदय रोग, मोटापा और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन सस्ता होने के कारण इसका आयात लगातार बढ़ रहा है। यह भी माना जाता है कि भारत में सरसों के तेल में ब्लेंडिंग के नाम पर बड़ी मात्रा में पाम ऑयल मिलाकर बेचा जाता है।इसके अलावा जी एम तेलों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव की चिंता भी महत्वपूर्ण है।

सही समय पर सही सलाह

प्रधानमंत्री द्वारा भारत के लोगों को दी गई यह सलाह कि उन्हें अपने भोजन में खाद्य तेलों का उपयोग कम करना चाहिए, एक नेक सलाह है। यह अनुभव किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता के कारण लोगों को जो भी सलाह या अपील करते हैं, उसका लोगों पर निश्चित रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। चाहे खुले में शौच से जुड़ी अपील हो, या स्वच्छता की बात हो, या कोविड के दौरान टीका लगवाने की सलाह हो, या गैस सब्सिडी छोड़ने की बात हो, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने प्रधानमंत्री की बातों को बहुत गंभीरता से लिया और देश और समाज को इससे बहुत लाभ हुआ। इसी तरह प्रधानमंत्री द्वारा लोगों को अपने भोजन में खाद्य तेलों की खपत 10 प्रतिशत कम करने की दी गई सलाह वास्तव में देश के लोगों के स्वास्थ्य और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 2030 में 151 करोड़ की अपेक्षित आबादी के साथ, यदि देश में खाद्य तेलों की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत 10 प्रतिशत कम हो जाती है; वहीं दूसरी ओर खाद्य तेल मिशन के उद्देश्यों के अनुसार देश में खाद्य तेलों का उत्पादन 2022–23 में 114 टन से 78 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2030 तक 203 लाख टन हो जाता है, तो इसका कुल प्रभाव यह होगा कि देश में खाद्य तेलों का आयात वर्तमान 164.7 लाख टन से घटकर मात्र 60.7 लाख टन रह जाएगा, यानी आयात में 63 प्रतिशत की कमी आएगी। देश से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन भी आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा।

लेकिन इसके साथ ही, यदि हमारे खाद्य तेल की खपत कम हो जाती है, तो वर्ष 2030 तक देश में मोटापे से ग्रस्त लोगों की संख्या वर्तमान जनसंख्या के एक–चौथाई से बढ़कर 44 प्रतिशत हो सकती है, की चिंता का भी कुछ हद तक समाधान हो जाएगा। इससे बीमारियाँ कम होंगी, बीमारियों पर होने वाला खर्च बचेगा और साथ ही लोगों की कार्यक्षमता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

इतना ही नहीं, देश के किसान, जो सस्ते पाम ऑयल के आयात के कारण फिलहाल तिलहनों का उचित मूल्य नहीं पा पा रहे हैं, उन्हें भी अपने तिलहनों पर बेहतर मूल्य मिलने लगेंगे, जिससे देश में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की इस सलाह का व्यापक प्रचार–प्रसार करने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था की सेहत दोनों में सुधार हो सके। ❑❑

स्मार्ट खेती खोलती किसान के बेहतर भविष्य की राह

भारत को दुनिया में कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। जो खेती से अपनी विशाल आबादी की खाद्य आवश्यकताएं पूरी करता है। लेकिन देश में खेती करने वाले किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, जलवायु परिवर्तन, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट और संसाधनों की सीमित उपलब्धता के चलते कृषि व्यवसाय को समस्याग्रस्त बना दिया है। ऐसे में खेती से जुड़े कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकते हैं। इन तकनीकों के उपयोग से किसानों को खेती के तरीकों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, उनकी पैदावार भी बढ़ सकेगी और लागत भी कम होगी।

खेती में आईओटी तकनीक की मदद से खेतों में विभिन्न सेंसर लगाए जा सकते हैं, जो पहले बताई गई समस्याओं का समाधान करते हैं। ये सेंसर मिट्टी की नमी, तापमान, पीएच स्तर और पोषक तत्वों (एनपीके) की मात्रा को मापते हैं। सेंसर से प्राप्त रियल–टाइम डेटा एआई मॉडल में जाएगा, जिसके जरिये किसान को जानकारी मिल सकेगी कि मिट्टी की स्थिति कैसी है और फसल को पानी या खाद की जरूरत कब है। इससे किसान फसल की सेहत को बेहतर समझ सकते हैं और समय पर उसे सही पोषण दे सकते हैं। इसी तरह एआई और आईओटी के जरिए सिंचाई को भी ऑटोमेटेड किया जा सकता है। सेंसर से प्राप्त डेटा के आधार पर तय किया सकता है कि खेत में कब और कितनी मात्रा में पानी देना है। इससे जल की बर्बादी रुकती है और फसल को जरूरत मुताबिक पानी मिलता है।

तकनीक के प्रयोग से फसलों में लगने वाले रोगों और कीटों का प्रबंधन अब पहले से आसान हो गया है। पहले किसान तब तक इंतजार करते थे जब तक कि बीमारी पूरी फसल

एआई और आईओटी खेती के क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकते हैं, लेकिन अब भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं।

– **विजय गर्ग**

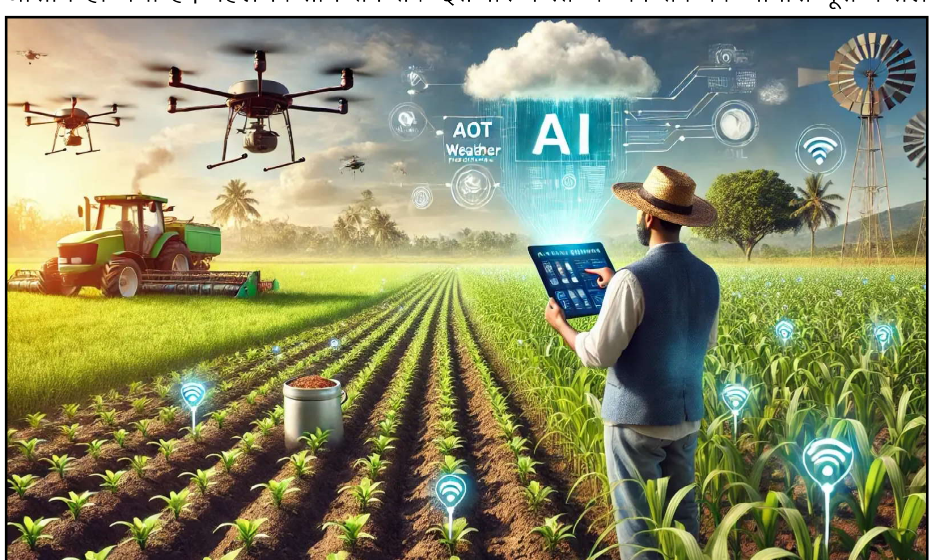

को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन अब एआई आधारित मोबाइल एप जैसे प्लांटिक्स और एग्रीबोट ने इस समस्या का समाधान कर दिया है। किसान फसल की फोटो अपलोड करते हैं, और ये ऐप तुरंत बीमारी का पता लगाकर उसका इलाज सुझाते हैं। इससे तुरंत समस्या के बारे में जानकारी मिलती है और समय पर इलाज संभव है।

एआई और आईओटी तकनीकों की मदद से किसान मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी के आधार पर तय कर सकते हैं कि कौनसी फसल लगाना ज्यादा लाभदायक होगा। मशीन लर्निंग मॉडल्स मिट्टी के पोषक तत्वों और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर किसान को सुझाव दे सकते हैं कि कौन–सी फसल लगाने से उत्पादन अधिक होगा और कौन–सी फसल से मुनाफा ज्यादा होगा।

एआई की मदद से मौसम की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। इससे किसान पता लगा सकेंगे कि कब बारिश होगी, कब सूखा पड़ सकता है या कब ठंड पड़ेगी। इस जानकारी के आधार पर फसल की बुआई, कटाई और सिंचाई का सही समय तय कर सकते हैं। मौसम के सटीक पूर्वानुमान के चलते किसान प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं।

आजकल कृषि में ड्रोन तकनीक का भी उपयोग बढ़ रहा है। ड्रोन की मदद से खेतों की निगरानी की जा सकती है। एआई–आधारित इमेज प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग कर किसान जान सकते हैं कि किस हिस्से में बीमारी फैली है या किन क्षेत्रों में अधिक खाद–पानी आदि चाहिये। ड्रोन का उपयोग कीटनाशकों और उर्वरकों के छिड़काव के लिए भी किया जा सकता है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है।

एआई और आईओटी तकनीकों को कृषि में सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार और निजी कंपनियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पीएम–किसान योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसके अलावा, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम जैसी कंपनियां भी किसानों के लिए एआई–आधारित समाधान विकसित कर रही हैं। मसलन, आईबीएम ने वेदर कंपनी के जरिये किसानों को मौसम की सटीक जानकारी देने का काम किया है।

आजकल कृषि में ड्रोन तकनीक का भी उपयोग बढ़ रहा है। ड्रोन की मदद से खेतों की निगरानी की जा सकती है। एआई-आधारित इमेज प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग कर किसान जान सकते हैं कि किस हिस्से में बीमारी फैली है या किन क्षेत्रों में अधिक खाद-पानी आदि चाहिये।

हालांकि एआई और आईओटी खेती के क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकते हैं, लेकिन अब भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। छोटे किसानों की स्मार्टफोन और इंटरनेट तक सीमित पहुंच है। इसके अलावा, एआई और आईओटी आधारित उपकरणों की शुरुआती लागत काफी ज्यादा है, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ी बाधा बन सकती है। वहीं नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में कई किसानों के लिए उपलब्ध नहीं है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की समस्या भी एआई और आईओटी के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा बन सकती है। उनके लिए सब्सिडी, कम लागत वाले सेंसर और मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान किये जाने की जरूरत है। इससे छोटे किसान भी आधुनिक तकनीकों का लाभ उठा सकेंगे। पूरी तरह से एआई और आईओटी को कृषि में लागू करने के लिए समय, धन और सही रणनीति की आवश्यकता होगी। इसके लिए सब्सिडी, प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी सहायता जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं, ताकि हर किसान इन नवीन तकनीकों का लाभ उठा सके और देश की कृषि उत्पादकता में इजाफा हो। ❑❑

विदेशी मुद्रा से लबालब भारतीय खजाना

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले कुछ समय से कम हो रहा था। हालांकि सितंबर 2024 में यह 700 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करने के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन कुछ समय की गिरावट के बाद यह 25 अप्रैल 2025 को अपने 6 महीने के उच्चतम स्तर 688.13 अरब डालर पर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 8वें सप्ताह उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसके पहले के सप्ताह में 18 अप्रैल 2025 को जारी किये गये आंकड़े के अनुसार कुल विदेशी मुद्रा भंडार 8.31 अरब डालर बढ़कर 686.14 अरब डालर था।

भारत उन देशों के क्लब में शामिल हो गया था, जिनके पास लगभग 700 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भण्डार है। वैसे भारत के मुकाबले चीन के पास अब भी 5 गुना और जापान के पास दो गुना अधिक विदेशी मुद्रा भंडार है, वहीं रूस से भारत काफी कम अंतर से पीछे है जिसे देश जल्दी ही पीछे छोड़ सकता है। वही टॉप 3 में पहुंचने के लिए भारत को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि तीसरे पायदान पर स्विट्जरलैंड है जिसके पास 1000 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है।

यह भंडार भारत को उभरती अर्थव्यवस्थाओं की अगली कतार में लाकर खड़ा कर देता है। इन दिनों दुनिया में जहां भू–राजनीतिक अस्थिरता, ऊंची ब्याज दरें और असंगठित आपूर्ति श्रृंखलाएं विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को चुनौती दे रही हैं, भारत की यह मुद्रा सुरक्षा एक मजबूत कवच की तरह काम कर रही है।

आज की स्थिति में जब भारत 5 ट्रिलियन डालर जीडीपी के लक्ष्य की ओर अग्रसर है तब विदेशी मुद्रा भंडार दोहरी भूमिका निभा रहा है।

– शशि मोहन रावत

मालूम हो कि वर्ष 2014 में जब नरेन्द्र मोदी सरकार ने कार्यभार संभाला, तब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 304 अरब डालर था। उस समय देश नीतिगत सुस्ती और बड़े चालू खाता घाटे से गुजर रहा था। देश में कोई बड़े निवेश नहीं हो रहे थे। विकास की रफ्तार धीमी थी। लेकिन पिछले दस वर्षों में किए गए ढांचागत सुधारों और योजनाबद्ध हस्तक्षेपों ने देश की स्थिति को बदला है। वस्तु एवं सेवा कर, दिवालियापन सहिता, 'मेक इन इंडिया' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' जैसे सुधारों ने पूंजी प्रवाह को बढ़ाने में मदद की। 2015 से 2017 के बीच एफडी आई और एफपीआई में सुधार के चलते मुद्रा भंडार 400 अरब डालर को पार कर गया। 2018 से 2020 तक वैश्विक व्यापार युद्ध और मंदी के बावजूद, भारत का भंडार लगातार बढ़ता रहा। 2019 के मध्य में यह 500 अरब डालर को पार कर गया, जिसमें प्रवासी भारतीयों के स्थिर प्रेषण, सेवाओं के निर्यात और रिजर्व बैंक की सक्रिय भूमिका का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था।

उल्लेखनीय है कि कोविड–19 का दौर समाप्त होने के बाद भारत ने अन्य देशों की

तरह भारी राजकोषीय खर्च की बजाय संतुलित और आपूर्ति–आधारित रणनीति अपनाई। टीकाकरण, एमएसएमई को सहायता और बुनियादी ढांचे में निवेश पर ध्यान केंद्रित कर भारत ने दीर्घकालिक आर्थिक असंतुलन से खुद को बचाया। नतीजा यह हुआ कि 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार 630 अरब डालर और 2022 के मध्य तक 650 अरब डालर को पार कर गया। मजबूत पूंजी प्रवाह और घटते व्यापार घाटे के कारण 2024 के अंत से लेकर अप्रैल 2025 तक लगातार छह हफ्तों तक भारत ने भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की। व्यापार घाटा भी तीन साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया, जो निर्यात में प्रतिस्पर्धा और आयात प्रबंधन की दक्षता का सकेत है।

इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा स्थिरता और तरलता प्रबंधन के बीच संतुलन बनाते हुए भंडार का कुशल प्रबंधन किया है। 2025 की शुरुआत में किए गए 10 अरब डालर के फॉरेक्स स्वैप जैसे उपायों ने बाजार पर अल्पकालिक दबाव को कम और भंडार की संरचना में भी सुधार किया। मसलन, भारत का स्वर्ण भंडार 2019 में 23.4 अरब डालर से बढ़कर 2025 में 74 अरब डालर हो गया। आरबीआई द्वारा विभिन्न मुद्राओं और साधनों में भंडार का विविधीकरण इसकी गुणवत्ता को और मजबूती देता है।

भारत का वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में उभरना संयोग नहीं है। 'स्टार्टअप इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' और लक्षित कर सुधार जैसे प्रयासों ने भारत की नवाचार क्षमता को बढ़ाया है। नीति स्पष्टता, राजनीतिक स्थिरता, घरेलू बाजार में वृद्धि और वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की छवि और मजबूत हुई है। हर महीने आकलन से अधिक जीएसटी संग्रह अर्थव्यवस्था के मजबूत होने और बढ़ते उपभोग का सकेत है। इसके साथ ही, सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन ने भारत को स्थिर विकास की राह पर बनाए रखा है। 2020 से 2024 के बीच भारत के विदेशी मुद्रा बाजार में औसत दैनिक कारोबार 60 अरब डालर तक पहुंच गया है, जो बढ़ते निवेशकों के भरोसे का प्रमाण है।

कुल मिलाकर आज की स्थिति में जब भारत 5 ट्रिलियन डालर जीडीपी के लक्ष्य की ओर अग्रसर है तब विदेशी मुद्रा भंडार दोहरी भूमिका निभा रहा है। एक ओर यह वैश्विक अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करता है, तो दूसरी ओर यह दुनिया को भारत की आर्थिक मजबूती और विश्वसनीयता का सदेश देता है। रेकॉर्ड स्तर का यह भंडार केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह बीते दस वर्षों में लिए गए सशक्त निर्णयों, आर्थिक अनुशासन और निरंतर सुधारों की मजबूत नींव का प्रतीक है। ❑❑

वैश्विक भू–राजनीतिक कारणों से सोने के भाव में उतार–चढ़ाव

भारत में शादी/विवाह का मौसम आते ही सोना के दाम को लेकर लोगों में उत्सुकता रहती है। अक्षय तृतीया के मौके पर सोना के दाम में अमूमन हर वर्ष थोड़ी बहुत बढोतरी होती है। सर्राफा बाजार के मुताबिक इस वर्ष भी सर्वाधिक शादियों वाले दिन अक्षय तृतीया के मौके पर सोना का दाम लगभग 1000 रू. प्रति 10 ग्राम बढ़कर 96800 रू. प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा, लेकिन गत 22 अप्रैल 2025 को 100000 रू. प्रति 10 ग्राम के आंकड़े के नीचे ही रहा। इस साल अब तक सोने की कीमत में 21000 रुपए से अधिक का और विगत एक महीने में लगभग 10000 रू. की बढ़ोतरी हुई है। भारत जब आजाद हुआ था तब 10 ग्राम 24 कैरेट वाले सोने की कीमत देश में 88 रुपए थी और वर्ष 1964 में इसकी कीमत और कम होकर 63 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई थी। लेकिन सन 1965 के बाद सोने के दाम में लगातार वृद्धि दर्ज की गई।

प्राचीन काल से भारतीयों के मन में 'सोना' के प्रति विशेष लगाव रहा है। मंदिरों में, राज प्रसादों में, सोना को विशेष महत्व प्राप्त था। सोना कितना सोणा है, इसका अंदाजा सोने के आभूषणों के प्रति भारतीय महिलाओं की दीवानगी को देखकर सहज ही लगाया जा सकता है। भारत में सोना निवेश के लिहाज से भी सबसे उपयुक्त और सुरक्षित माना जाता रहा है।

मौजूदा समय में सोने की कीमत बढ़ाने के कई कारण है, जिनमें से एक कारण अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अपनाई जा रही आर्थिक नीति भी है। ट्रंप के आर्थिक रुख से वैश्विक स्तर पर कारोबारी जंग शुरू होने और मंदी आने की संभावना बढ़ी है। विश्व के कुछ भागों में भू–राजनीतिक तनाव के कारण शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है जिसके चलते लोग सोना में अधिक निवेश कर रहे हैं।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2024 में सोने की मांग सबसे अधिक रही। भारत सोने की मांग की घरेलू आपूर्ति करने में असमर्थ है, क्योंकि यहां अपेक्षित मात्रा में सोने का उत्पादन नहीं होता। वर्ष 2020 में भारत ने 47 अरब डालर का सोना आयात किया था, जबकि वर्ष 2023 में कुल 42.6 अरब अमेरिकी डॉलर का सोना मंगाया। ❑

अंतिम विदाई- मेरे देश की धरती, एक सन्नाटे में डूबी

बॉलीवुड के स्वर्ण युग के एक ऐसे सितारे ने शुक्रवार को हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसकी चमक आज भी करोड़ों दिलों में बसी हुई है। 'भारत कुमार' के नाम से मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उन्होंने शुक्रवार सुबह 3:30 बजे अंतिम सांस ली। देश के लिए प्रेम और सिनेमा के ज़रिए सामाजिक सच्चाइयों को उजागर करने वाले इस महान कलाकार के निधन की खबर ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। जुहू के विशाल टॉवर में दोपहर बाद उनके अंतिम दर्शन की व्यवस्था की गई है और शनिवार सुबह पवन हंस श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले कुछ महीनों से वह डीकंपेन्सेटेड लिवर सिरोसिस से पीड़ित थे और हाल ही में उन्हें दिल का दौरा पड़ा था।हरिकिशन गिरि गोस्वामी यही नाम था उस शख्स का, जिसने बाद में 'मनोज कुमार' बनकर भारतीय सिनेमा को नया आयाम दिया। 24 जुलाई 1937 को अविभाजित भारत के ऐबटाबाद में जन्मे मनोज कुमार का बचपन बंटवारे के दर्द से होकर गुज़रा। जब देश विभाजित हुआ, तो उनका परिवार भारत आ गया और दिल्ली में बस गया। उस दर्द ने उन्हें संवेदनशील बनाया, जिसने उनके अभिनय और फिल्म निर्माण में गहराई पैदा की। उन्होंने अपने नायकों दिलीप कुमार और अशोक कुमार से प्रेरित होकर अभिनय का सफर शुरू किया और अपने आदर्श दिलीप कुमार के किरदार से प्रभावित होकर हरिकिशन से 'मनोज कुमार' बन गए।

कॉलेज के दिनों में आकर्षक व्यक्तित्व और थिएटर में गहरी रुचि ने उन्हें अभिनय की ओर खींचा। दिल्ली से मुंबई का सफर तय किया और 1957 में फिल्म 'फैशन' से फिल्मों में कदम रखा। हालांकि, उन्हें पहचान मिली 1960 की 'कांच की गुड़िया' से, और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 'पत्थर के सनम', 'उपकार', 'पूरब और पश्चिम', 'रोटी कपड़ा और मकान', 'क्रांति', 'शोर', और 'दस नंबरी' जैसी फिल्मों में उन्होंने न सिर्फ अभिनय किया, बल्कि समाज के ज्वलंत मुद्दों को मुख्यधारा के सिनेमा में पिरोया।उनकी सबसे खास पहचान थी राष्ट्रप्रेम। वो अभिनेता नहीं, एक आंदोलन थे, जो परदे पर देश से प्रेम करना सिखाते थे। 'उपकार'

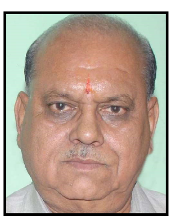

भारत ने आज अपना सबसे सच्चा सपूत खो दिया, लेकिन 'भारत कुमार' अब एक विचार बन चुके हैं, जो हर उस दिल में धड़केंगे, जिसमें भारत बसता है।

– अजय कुमार

जैसी फिल्म जब लाल बहादुर शास्त्री के अनुरोध पर बनाई, तो उन्होंने यह साबित कर दिया कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी हो सकता है। 'जय जवान, जय किसान' का नारा लोगों के दिल में घर कर गया। अफ़सोस, शास्त्री जी इस फिल्म को देख नहीं पाए, क्योंकि ताशकंद से लौटने से पहले ही उनका निधन हो गया था।70 और 80 के दशक में जब देश भयानक गरीबी, बेरोजगारी और हताशा से जूझ रहा था, तब मनोज कुमार की फिल्में आशा की किरण बनकर उभरीं। 'रोटी कपड़ा और मकान' जैसी फिल्म में उन्होंने देश के युवा को यह सोचने पर मजबूर किया कि देश हमें क्या दे रहा है, इससे पहले यह सोचना जरूरी है कि हम देश को क्या दे रहे हैं। यही संवाद आज भी कई दिलों को झकझोर देता है। इस फिल्म का गाना "बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई" उस दौर की आर्थिक त्रासदी का व्यंग्यात्मक चित्रण था, जो आज भी प्रासंगिक लगता है।

'शोर' फिल्म में एक मजदूर पिता की वेदना और उसके बेटे की सर्जरी के लिए पैसे जोड़ने की जद्दोजहद को उन्होंने इस तरह परदे पर उकेरा कि आंखें नम हुए बिना नहीं रहतीं। वहीं, उसी फिल्म का गीत "एक प्यार का नगमा है" जीवन की उम्मीद और संघर्ष का पर्याय बन गया। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने इसे पिछली सदी का सबसे लोकप्रिय गीत बताया।उनकी फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत थी भारतीयता की आत्मा से जुड़ा होना। उनके खलनायक अक्सर पूंजीपति या अंग्रेज हुआ करते थे, न कि किसी धर्म विशेष से जुड़ी पहचान। उनकी फिल्मों में हिन्दू–मुस्लिम–सिख–ईसाई को भाईचारे के प्रतीक के रूप में दिखाया गया। 'पूरब और पश्चिम' जैसी फिल्मों ने न केवल देश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का कार्य किया, बल्कि भारतीय युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़े रखा।

आपातकाल के समय, जब देश में सेंसरशिप का दौर था, तब भी मनोज कुमार ने सत्ता की आंखों में आंखें डालकर खरा सच कहने की हिम्मत दिखाई। इंदिरा गांधी से उनके संबंध मधुर थे, लेकिन इमरजेंसी के दौरान उन्होंने विरोध जताया। परिणामस्वरूप, उनकी फिल्में जैसे 'शोर' को दूरदर्शन पर दिखाया गया, जिससे उसकी दोबारा रिलीज पर असर पड़ा। 'दस नंबरी' जैसी फिल्म को सूचना मंत्रालय ने बैन कर दिया। यही नहीं, जब अमृता प्रीतम ने उन्हें इमरजेंसी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रस्ताव दिया, तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया और अमृता को फटकार लगाई कि उन्होंने एक लेखक के रूप में समझौता कर लिया है। यह उनकी ईमानदारी और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण था।

मनोज कुमार ने वो दौर भी देखा जब राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार का बोलबाला था। इसके बावजूद, उनकी फिल्में 'दस नंबरी', 'क्रांति' और 'रोटी कपड़ा और मकान' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल करती रहीं। 1981 में आई 'क्रांति' ने अमिताभ बच्चन की 'नसीब' और 'लावारिस' जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया था। 'क्रांति' ने यह साबित किया कि भारतीय दर्शक सच्चे और अर्थपूर्ण सिनेमा को समझते हैं और सराहते हैं।हालांकि, जितनी लोकप्रियता उन्हें दर्शकों से मिली, उतनी ही उपेक्षा उन्हें आलोचकों से भी मिली। उन्हें कभी दिलीप कुमार जैसा महान अभिनेता नहीं माना गया, न ही राज कपूर जैसा फिल्मकार। यह बहस का विषय रहा कि क्या भारत में राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ा कलाकार उस इकोसिस्टम के लिए असहज था, जो पश्चिमी विचारों से प्रभावित था। लेकिन यह भी सच्चाई है कि उनकी फिल्मों ने उस दौर में लोगों को भारतीय संस्कृति पर गर्व करना सिखाया, जब देश के कुछ हिस्सों में राष्ट्रवाद विरोधी विचारधारा का बोलबाला था।

मनोज कुमार को उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले। उन्हें 1992 में पद्म श्री और 2015 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाज़ा गया। लेकिन शायद उन्हें वह दर्जा कभी नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। फिर भी, उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया, न शिकायत की। वह देश के लिए फिल्में बनाते रहे, समाज की बात करते रहे और आम आदमी की पीड़ा को अपनी फिल्मों के माध्यम से व्यक्त करते रहे। आज जब हम मनोज कुमार को खो चुके हैं, तो यह सिर्फ एक अभिनेता का जाना नहीं है, यह एक विचारधारा, एक दर्शन, एक युग का अंत है। वो युग जिसमें सिनेमा नारा नहीं, संदेश होता था। जिसमें नायक सिर्फ पर्दे का चेहरा नहीं, समाज का दर्पण होता था। जिसमें एक गाना "मेरे देश की धरती" सुनकर आंखें नम और दिल गर्व से भर जाता था।

मनोज कुमार चले गए, लेकिन 'भारत कुमार' अब अमर हो गए हैं। उनकी फिल्मों में, उनके विचारों में, उनके संवादों में, उनका राष्ट्र प्रेम हमेशा जीवित रहेगा। वो एक अभिनेता नहीं थे, वो भारत की आत्मा के कवि थे, जिन्होंने हर फ्रेम में भारत को जिया, और हर दृश्य में दर्शकों को उसका गर्व महसूस कराया। उनकी अंतिम यात्रा सिर्फ एक शव नहीं, एक संपूर्ण युग चुपचाप विदा होगा। लेकिन मनोज कुमार को भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने अपने जीवन से सिखाया कि देश प्रेम कोई भाषण नहीं, एक जिम्मेदारी है। एक आस्था है, जिसे उन्होंने कैमरे की आंख से हमारे दिलों तक पहुंचाया। भारत ने आज अपना सबसे सच्चा सपूत खो दिया, लेकिन 'भारत कुमार' अब एक विचार बन चुके हैं, जो हर उस दिल में धड़केंगे, जिसमें भारत बसता है। ❑❑

(अजय कुमारः उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार)

स्वदेशी जागरण मंच

प्रेस विज्ञप्ति

डब्ल्यूटीओ को खत्म करने का समय

2 अप्रैल, 2025 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विभिन्न देशों से आने वाले सामानों पर उच्च टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसे वे पारस्परिक टैरिफ कहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने विभिन्न देशों पर अलग–अलग टैरिफ लगाने का विकल्प चुना है। इस संदर्भ में, राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसका अर्थ है कि भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सामानों पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगेगा।

अमेरिकी प्रशासन द्वारा टैरिफ की एकतरफा घोषणा डबल्यूटीओ नियमों का पूर्ण उल्लंघन है। यह भी सच है कि अमेरिका ने पहले भी डबल्यूटीओ नियमों का उल्लंघन किया है; लेकिन इस बार उल्लंघन का पैमाना बहुत बड़ा है, क्योंकि ट्रंप ने सभी पर उच्च पारस्परिक टैरिफ लगाए हैं। यह समझना होगा कि अब तक भारत सहित विभिन्न देश डबल्यूटीओ में अपनी प्रतिबद्धताओं के आधार पर आयात शुल्क लगाते रहे हैं।˘ज्ट के जन्म के साथ ही, हर देश द्वारा लगाए जा सकने वाले आयात शुल्क, जिन्हें 'बाउंड टैरिफ' के रूप में जाना जाता है, समझौते के अनुसार निर्धारित किए गए थे। इस मामले में भारत द्वारा लगाया जा सकने वाला बाउंड टैरिफ औसतन 50.8 प्रतिशत है। हालांकि, भारत वास्तव में लगभग 6 प्रतिशत का औसत भारित आयात शुल्क (एप्लाइड टैरिफ) लगा रहा है, जो 'बाउंड टैरिफ' से बहुत कम है।

यह समझना होगा कि राष्ट्रपति ट्रम्प की यह शिकायत कि भारत अमेरिका से आने वाले माल पर अधिक शुल्क लगाता है, वैध शिकायत नहीं है, क्योंकि वे देश डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार अपने बाध्य टैरिफ की सीमा के भीतर आयात शुल्क लगाते हैं, जो पहले किए गए समझौतों के अनुरूप है। यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ने पहले के जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड (गैट) समझौतों में अन्य देशों द्वारा उच्च आयात शुल्क लगाए जाने को क्यों स्वीकार किया?

डब्ल्यूटीओ के जन्म से पहले, विभिन्न देश अपने–अपने देशों में अपने उद्योगों की सुरक्षा के लिए आयात शुल्क के अतिरिक्त 'मात्रात्मक प्रतिबंध' (क्यूआर) भी लगाते थे। इसके साथ ही, विभिन्न देश अपने उद्योगों की सुरक्षा के लिए विदेशी पूंजी पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध लगाते थे। अमेरिका और अन्य विकसित देश चाहते थे कि भारत और अन्य विकासशील देश अपने आयात शुल्क कम करें और 'क्यूआर' का उपयोग बंद करें ताकि उनके माल को इन गंतव्यों पर बिना किसी बाधा के निर्यात किया जा सके। इसके साथ ही, वे यह भी चाहते थे कि विकासशील देश विकसित देशों की पूंजी को अपने देशों में प्रवेश करने दें, अपने बौद्धिक संपदा कानूनों में बदलाव करें, कृषि पर समझौता करें और सेवाओं को व्यापार वार्ता का हिस्सा बनने दें। विकासशील देश इस सबके लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में विकसित देशों ने विकासशील देशों को उच्च आयात शुल्क लगाने की अनुमति दी ताकि वे विकसित देशों की नई मांगों को मान लें। ऐसे में विकासशील देशों को जब उच्च आयात शुल्क लगाने की अनुमति दी गई और यह कोई दान नहीं बल्कि एक सौदा था। ऐसे में अगर अमेरिकी प्रशासन अब यह कहता है कि भारत अमेरिका से अधिक शुल्क लगा रहा है, तो उनका तर्क जायज नहीं है।

दरअसल, राष्ट्रपति ट्रंप विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। अमेरिका द्वारा एकतरफा टैरिफ लगाना विश्व व्यापार संगठन के नियमों और भावना दोनों के खिलाफ है। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ एक शक्तिशाली संगठन रहा है और इसमें किए गए समझौते कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। ऐसे में अमेरिका द्वारा एकतरफा टैरिफ की घोषणा डब्ल्यूटीओ के खत्म होने का संकेत है।

अब जबकि हम डब्ल्यूटीओ के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा देख रहे हैं, तो टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (जीएटीटी) में 'ट्रिप्स', 'ट्रिम्स', सेवाओं और कृषि पर समझौतों के बारे में नए सिरे से सोचने का समय आ गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि ट्रिप्स पर समझौते ने रॉयल्टी व्यय के मामले में हमें भारी नुकसान पहुंचाया है, और इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। भारत द्वारा रॉयल्टी व्यय, जो 1990 के दशक में एक बिलियन अमेरिकी डॉलर

से भी कम था, अब सालाना 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। डब्ल्यूटीओ और इसकी तथाकथित नियम–आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के कारण भारत, चीन द्वारा डंपिंग और चीनी सरकार द्वारा अनुचित सब्सिडी और चीन जैसी गैर–बाजार अर्थव्यवस्था को भी एमएफएन का दर्जा देने की बाध्यता जैसी अनुचित व्यापार प्रथाओं का शिकार रहा है। अमेरिका जैसे विकसित देशों से सब्सिडी वाले कृषि उत्पादों से अनुचित प्रतिस्पर्धा, भारत सहित विकासशील देशों द्वारा भारी रॉयल्टी व्यय, कुछ उदाहरण हैं कि भारत और अन्य विकासशील देश डब्ल्यूटीओ के तहत कैसे नुकसान में हैं। यह साबित हो चुका है कि डब्ल्यूटीओ जैसे बहुपक्षीय समझौते भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अच्छे नहीं हैं, और द्विपक्षीय समझौते सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि उन्हें हमारे व्यापारिक भागीदारों के साथ आपसी सहमति से राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए हस्ताक्षरित किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि जब अमेरिका डब्ल्यूटीओ की अवहेलना कर रहा है, तो हमें डब्ल्यूटीओ में ट्रिप्स सहित अन्य शोषणकारी समझौतों से बाहर आने की रणनीति के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही, डब्ल्यूटीओ के विघटन के बाद अब मात्रात्मक नियंत्रण यानि 'क्यूआर' लगाना संभव होगा। ऐसे में हम अपने लघु एवं कुटीर उद्योगों की रक्षा करने तथा देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद करने के लिए एक बार फिर उत्पादों के लघु उद्योगों के लिए आरक्षण की नीति को शुरू करके विकेंद्रीकरण और रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा प्रयास कर सकते हैं।

अब जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर में वस्तुओं पर टैरिफ लगा दिया है, हमें इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार की रणनीति बनानी होगी। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन्हें लाभ हो सकता है, क्योंकि हमारे निर्यात को अमेरिका में नए बाजार मिल सकते हैं, जबकि चीन के निर्यात को ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए उच्च पारस्परिक टैरिफ के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही, चूंकि यूरोपीय संघ और अन्य देश वैश्विक मूल्य श्रृंखला में नई साझेदारी के लिए आगे आ रहे हैं, रक्षा जैसे क्षेत्रों में, हमें ट्रंप के टैरिफ के बाद विदेशी बाजारों को हासिल करने में अपने उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए।

डॉ अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सह संयोजक

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http:// swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC: BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

श्रद्धांजलि

नहीं रहे, स्वदेशी के प्रबल पैरोकार प्रो. योगानंद काले

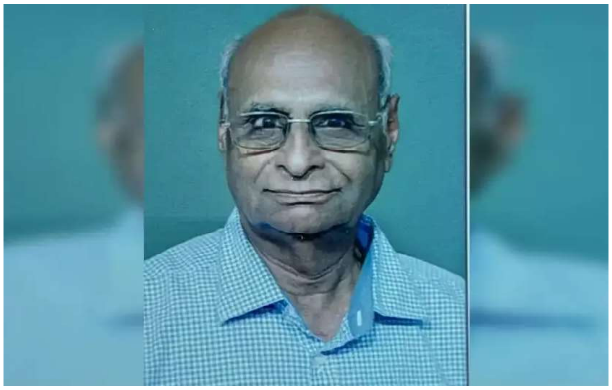

स्वदेशी जागरण मंच के पूर्व राष्ट्रीय सह–संयोजक, प्रसिद्ध शिक्षाविद् और अर्थशास्त्री प्रो. योगानंद काले का दिनांक 19 अप्रैल, 2025 को निधन हो गया। सरल स्वभाव के धनी, गहन विद्वान, संगठन के प्रति निष्ठावान, नागपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे प्रोफेसर काले के देवलोक गमन को अपूरणीय क्षति बताते हुए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

प्रो. काले ने स्वदेशी जागरण मंच की रणनीतियों और आंदोलनों को आकार देने में शुरू से ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक कट्टर राष्ट्रवादी थे और साथ ही स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रमों, अभियानों और समग्र स्वदेशी आंदोलनों में सबसे आगे रहे हैं। वे 1995 से 1999 के बीच नागपुर विश्वविद्यालय के प्रो–वीसी थे। इससे पहले, वे 1990 से 1995 तक एमपी देव स्मृति धरमपेठ कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और भारतीय अर्थशास्त्र के विद्वान, उन्होंने अपने कार्यों के लिए अनेक वैश्विक यात्राएं भी की। वे भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक शाखा के विचारक थे और विदर्भ क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण में उनकी विशेषज्ञता थी। 26 जून 2022 को भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रोफेसर काले द्वारा लिखित पुस्तक 'स्वदेशी एक चिंतन'का विमोचन किया था।

महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले के साकरखेड़ा में 1940 में जन्मे प्रो. योगानंद काले एक ऐसे परिवार से थे जिसमें छह भाई, दो बहनें और माता–पिता थे। गांव में प्राथमिक शिक्षा से लेकर राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर बनने तक का उनका सफर कड़ी मेहनत और लगन से भरा रहा। उन्होंने एमकॉम, एमफिल और डीबीएम जैसी डिग्रियां हासिल कीं और करीब 11 साल तक प्रोफेसर, फिर करीब 14 साल तक वाइस प्रिंसिपल और आखिर में उसी कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर काम किया।

प्रो. योगानंद काले एक प्रभावशाली वक्ता, समर्पित शिक्षक, कुशल प्रशासक और छात्रों के प्रिय प्रोफेसर के रूप में जाने जाते थे। 'विदर्भ के आर्थिक पिछड़ेपन' पर उनके शोध प्रबंध को महत्वपूर्ण मान्यता मिली और अब इसे एक मूल्यवान संदर्भ माना जाता है। उन्होंने स्थानीय पत्रिकाओं में समकालीन आर्थिक मुद्दों पर व्यापक रूप से लिखा और छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तकें लिखीं। उन्होंने वाणिज्य में पीएचडी उम्मीदवारों के लिए एक मान्यता प्राप्त मार्गदर्शक के रूप में भी काम किया। प्रोफेसर काले प्रतिष्ठित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य थे।

संगठन के लिए अपूरणीय क्षति

स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति और इतिहास पर लंबे समय तक चिंतन किया। उन्होंने स्वयं स्वदेशी विषय पर कई पुस्तकें लिखीं और उनसे प्राप्त आय को स्वदेशी जागरण मंच आंदोलन को दान कर दिया। उन्होंने विदर्भ के विकास और देश की आर्थिक नीतियों पर भी व्यापक रूप से लिखा। जनसंघ के दिनों से ही वे राष्ट्रीय कार्य के लिए समर्पित थे। उनके निधन से महाराष्ट्र और देश के सामाजिक और शैक्षणिक जगत को क्षति हुई है। स्वदेशी जागरण मंच उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हम उनके परिवार, रिश्तेदारों और उनके समर्थकों के दुख में शामिल हैं।

प्रो. योगानंद काले जी की श्रद्धांजलि सभा में भारत सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री श्री नितिन गडकरी तथा स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने सम्मिलित होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ❑

स्वदेशी अपनाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिएः कश्मीरी लाल

एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश एवं स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में एसोसिएशन के सभागृह में स्वावलंबी भारत अभियान के तहत उद्यमी संवाद कार्यक्रम एवं उन्नत भारत के लिए स्वदेशी मेला आयोजन की जानकारी के लिए बैठक हुई। इसमें स्वदेशी की संकल्पना में आयातित वस्तुओं का निर्माण भारत में ही हो, इस विषय को लेकर संवाद किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने कहा कि स्वदेशी को अपनाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वर्तमान समय दुनिया में भारत के वर्चस्व का समय है और भारत वर्तमान में दुनिया का चमकता सितार बन रहा है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और चायना व अन्य देशों से मुकाबला करना है तो हमें स्वदेशी को अपनाने के साथ ही स्वरोजगार की ओर युवाओं को प्रेरित करना होगा, तभी हमारा देश आर्थिक रूप से समृध्द होगा।

उन्होंने कहा कि उद्योग एवं व्यापार को आगे बढाना है इनोवेशन एवं तकनीकी उन्नयन के साथ अपने विजन को धरातल पर उतारना होगा तभी हम भारत को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में सफल होंगे। अब समय आया है, जब देश के नौजवान नौकरी मांगने वाले नहीं, अपितु नौकरी देने वाले बनें। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच एमएसएमई को बढ़ावा देने के साथ ही इन्हें समस्याओं से बाहर निकलने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। श्री कश्मीरी लाल ने यह भी बताया कि उद्यमिता की बेहतरी के लिए स्वदेशी जागरण मंच सदैव तत्परता से कार्य कर रहा है।

अब डब्ल्यूटीओ को खत्म करने का समय आ गयाः स्वजामं

भारत पर टैरिफ लगाने की अमेरिकी घोषणा को स्वदेशी जागरण मंच (स्वजामं) ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों का पूर्ण उल्लंघन बताया है। स्वदेशी जागरण मंच ने कहा है कि अब डब्ल्यूटीओ को खत्म करने का समय आ गया है। साथ ही भारत को अंतरराष्ट्रीय व्यापार की रणनीति बनानी होगी। भारत को विदेशी बाजारों में बढ़त हासिल करने में अपने उद्योगों को समर्थन और बढ़ावा देना चाहिए।

स्वजामं के राष्ट्रीय सह–संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा कि 2 अप्रैल, 2025 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विभिन्न देशों से आने वाले सामानों पर उच्च टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसे वे पारस्परिक टैरिफ कहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने विभिन्न देशों पर अलग–अलग टैरिफ लगाने का विकल्प चुना है। इस संदर्भ में, ट्रंप ने भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसका अर्थ है कि भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सामानों पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगेगा। अमेरिकी प्रशासन द्वारा टैरिफ की एकतरफा घोषणा डब्ल्यूटीओ नियमों का पूर्ण उल्लंघन है। यह भी सच है कि अमेरिका ने पहले भी डब्ल्यूटीओ नियमों का उल्लंघन किया है; लेकिन इस बार उल्लंघन का पैमाना बहुत बड़ा है, क्योंकि ट्रंप ने सभी पर उच्च पारस्परिक टैरिफ लगाए हैं।

डॉ. महाजन ने कहा कि यह समझना होगा कि अब तक भारत सहित विभिन्न देश डब्ल्यूटीओ में अपनी प्रतिबद्धताओं के आधार पर आयात शुल्क लगाते रहे हैं। डब्ल्यूटीओ के जन्म के साथ ही, हर देश द्वारा लगाए जा सकने वाले आयात शुल्क, जिन्हें 'बाउंड टैरिफ' के रूप में जाना जाता है, समझौते के अनुसार निर्धारित किए गए थे। इस मामले में भारत द्वारा लगाया जा सकने वाला बाउंड टैरिफ औसतन 50.8 प्रतिशत है। हालांकि, भारत वास्तव में लगभग 6 प्रतिशत का औसत भारित आयात शुल्क (एप्लाइड टैरिफ) लगा रहा है, जो 'बाउंड टैरिफ' से बहुत कम है। यह समझना होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप की यह शिकायत कि भारत अमेरिका से आने वाले माल पर अधिक शुल्क लगाता है, वैध शिकायत नहीं है, क्योंकि वे देश डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार अपने बाध्य टैरिफ की सीमा के भीतर आयात शुल्क लगाते हैं, जो पहले किए गए समझौतों के अनुरूप है। यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ने पहले के जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड (गैट) समझौतों में अन्य देशों द्वारा उच्च आयात शुल्क लगाए जाने को क्यों स्वीकार किया?

डॉ. महाजन ने कहा कि डब्ल्यूटीओ के जन्म से पहले, विभिन्न देश अपने–अपने देशों में अपने उद्योगों की सुरक्षा के लिए आयात शुल्क के अतिरिक्त 'मात्रात्मक प्रतिबंध' (क्यूआर) भी लगाते थे। इसके साथ ही, विभिन्न देश अपने उद्योगों की सुरक्षा के लिए विदेशी पूंजी पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध लगाते थे। अमेरिका और अन्य विकसित देश चाहते थे कि भारत और अन्य विकासशील देश अपने आयात शुल्क कम करें और 'क्यूआर' का उपयोग बंद करें ताकि उनके माल को इन गंतव्यों पर बिना किसी बाधा के निर्यात किया जा सके। इसके साथ ही, वे यह भी चाहते थे कि विकासशील देश विकसित देशों की पूंजी को अपने देशों में प्रवेश करने दें, अपने बौद्धिक संपदा कानूनों में बदलाव करें, कृषि पर समझौता करें और सेवाओं को व्यापार वार्ता का हिस्सा बनने दें। विकासशील देश इस सबके लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में विकसित देशों ने विकासशील देशों को उच्च आयात शुल्क

लगाने की अनुमति दी ताकि वे विकसित देशों की नई मांगों को मान लें। ऐसे में विकासशील देशों को जब उच्च आयात शुल्क लगाने की अनुमति दी गई और यह कोई दान नहीं बल्कि एक सौदा था।

डॉ. महाजन ने कहा कि दरअसल, ट्रंप डब्ल्यूटीओ के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। अमेरिका द्वारा एकतरफा टैरिफ लगाना डब्ल्यूटीओ के नियमों और भावना दोनों के खिलाफ है। डब्ल्यूटीओ एक शक्तिशाली संगठन रहा है और इसमें किए गए समझौते कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। ऐसे में अमेरिका द्वारा एकतरफा टैरिफ की घोषणा डब्ल्यूटीओ के खत्म होने का संकेत है। अब जबकि हम डब्ल्यूटीओ के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा देख रहे हैं, तो टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (जीएटीटी) में 'ट्रिप्स', 'ट्रिम्स', सेवाओं और कृषि पर समझौतों के बारे में नए सिरे से सोचने का समय आ गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि ट्रिप्स पर समझौते ने रॉयल्टी व्यय के मामले में हमें भारी नुकसान पहुंचाया है, और इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। भारत द्वारा रॉयल्टी व्यय, जो 1990 के दशक में एक बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी कम था, अब सालाना 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है।

डॉ. महाजन ने कहा कि अमेरिका जैसे विकसित देशों से सब्सिडी वाले कृषि उत्पादों से अनुचित प्रतिस्पर्धा, भारत सहित विकासशील देशों द्वारा भारी रॉयल्टी व्यय, कुछ उदाहरण हैं कि भारत और अन्य विकासशील देश डब्ल्यूटीओ के तहत कैसे नुकसान में हैं। यह साबित हो चुका है कि डब्ल्यूटीओ जैसे बहुपक्षीय समझौते भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अच्छे नहीं हैं, और द्विपक्षीय समझौते सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि उन्हें हमारे व्यापारिक भागीदारों के साथ आपसी सहमति से राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए हस्ताक्षरित किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि जब अमेरिका डब्ल्यूटीओ की अवहेलना कर रहा है, तो हमें डब्ल्यूटीओ में ट्रिप्स सहित अन्य शोषणकारी समझौतों से बाहर आने की रणनीति के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही, डब्ल्यूटीओ के विघटन के बाद अब मात्रात्मक नियंत्रण यानि 'क्यूआर' लगाना संभव होगा। ऐसे में हम अपने लघु एवं कुटीर उद्योगों की रक्षा करने तथा देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद करने के लिए एक बार फिर उत्पादों के लघु उद्योगों के लिए आरक्षण की नीति को शुरू करके विकेंद्रीकरण और रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा प्रयास कर सकते हैं।

डॉ. महाजन ने कहा कि अब जबकि ट्रंप ने दुनिया भर में वस्तुओं पर टैरिफ लगा दिया है, हमें इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार की रणनीति बनानी होगी. ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन्हें लाभ हो सकता है, क्योंकि हमारे निर्यात को अमेरिका में नए बाजार मिल सकते हैं, जबकि चीन के निर्यात को ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए उच्च पारस्परिक टैरिफ के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है।

https://ndtv.in/india/now-the-time-has-come-to-end-wto-know-why-swadeshi-jagran-manch-wants-this-8100744

भारत नये सिरे से तय करे अपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रणनीतिः स्वजाम

स्वदेशी जागरण मंच (स्वजाम) ने कहा कि अमेरिका की तरफ से जवाबी सीमा शुल्क लगाए जाने के साथ भारत को अपनी अंतरराष्ट्रीय व्यापार रणनीति नए सिरे से तय करनी चाहिए और डब्ल्यूटीओ में ट्रिप्स और ट्रिम्स जैसे 'शोषणकारी समझौतों' से बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए। एसजेएम ने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार–संबंधित पहलुओं (ट्रिप्स) पर समझौते से भारत को रॉयल्टी व्यय में 'भारी नुकसान' होने के साथ इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

मंच ने एक बयान में कहा कि भारत का रॉयल्टी व्यय 1990 के दशक में एक अरब डॉलर से कम था लेकिन अब यह 17 अरब डॉलर प्रति वर्ष से अधिक हो गया है। ट्रिप्स समझौता बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करता है, जबकि डब्ल्यूटीओ व्यापार–संबंधित निवेश उपायों या ट्रिम्स में समझौता कुछ निवेश उपायों को सीमित करता है जो व्यापार को नुकसान पहुंचाते हैं।

डॉ. अश्वनी महाजन ने बयान में कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा 'एकतरफा' शुल्क लगाना विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों का पूर्ण उल्लंघन है। उन्होंने कहा, 'जब हम डब्ल्यूटीओ के लिए पूरी तरह से अवहेलना देख रहे हैं, तो व्यापार एवं तटकर पर सामान्य समझौते (गैट) में ट्रिप्स, ट्रिम्स, सेवाओं और कृषि पर समझौतों के बारे में नए सिरे से सोचने का समय आ गया है।'

डॉ. महाजन ने कहा कि यह साबित हो चुका है कि डब्ल्यूटीओ जैसे बहुपक्षीय समझौते भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'द्विपक्षीय समझौते भारत के लिए सबसे उपयुक्त हैं। अब समय आ गया है कि जब अमेरिका जैसे विकसित देश डब्ल्यूटीओ की पूरी तरह से अवहेलना कर रहे हैं, तो हमें ट्रिप्स सहित अन्य शोषणकारी समझौतों से बाहर आने की रणनीति के बारे में सोचना चाहिए।' महाजन के अनुसार, भारत की अंतरराष्ट्रीय व्यापार रणनीति में बदलाव से कई क्षेत्रों को लाभ हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के निर्यात को अमेरिका में नए बाजार मिल सकते हैं, जबकि चीन के निर्यात को ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए उच्च सीमा शुल्कों के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। ❑❑

https://www.dainiktribuneonline.com/news/business/india-should-redefine-its-international-trade-strategy-swadeshi-jagran-manch/#google_vignette

स्वदेशी गतिविधियां

स्वदेशी बैठकें

सचित्र झलक

करनाल, हरियाणा

जालंधर, पंजाब

कुरुक्षेत्र, हरियाणा

स्वदेशी मेला, असम (उत्तर)

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 अप्रैल 2025
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2024-26
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

स्वदेशी शोध संस्थान

कार्यक्रम (30 मार्च, 2025)

सचित्र झलक

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती